रजि० सं० डी-(डी) 73 Regd. No. D-(D) 73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 1978 (माघ 1, 1899)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21, 1978 (MAGHA 1, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

गृह मंत्रालय

(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 1977

सं० आर०-115/68 प्रशासन-5—निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री राम लाल माहनी ने दिनांक 1-12-77 के पूर्वाह्न में कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय, नई दिल्ली का कार्यभार त्याग दिया है।

वह दिनांक 1-12-77 से 120 दिन की सेवा नियुक्ति पूर्व छुट्टी पर, जो उन्हें पहले इन्कार कर दी गई थी, चले गए हैं।

दिनांक 2 जनवरी 1978

सं० पी०-30/65-प्रशा० 5—शाह जांच आयोग में नियुक्ति हो जाने पर श्री पी० एम० महादेवन, पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जम्मू की सेवाएं शाह जांच आयोग को सौंप दी गई हैं। उन्होंने दिनांक 31-10-77 के अपराह्न में पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जम्मू शाखा का कार्य भार त्याग दिया।

सं० ए० 19015/3/75-प्रशासन-5—श्री ओ० पी० मैनी, अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुख्यालय ने दिनांक 22-12-77 के पूर्वाह्न में अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

शाह जांच आयोग में अवर सचिव के रूप में नियुक्ति हो जाने पर, दिनांक 22-12-77 (पूर्वाह्न) से उनकी सेवाएं आयोग को सौंप दी गई।

विजयपाल पाण्डे
प्रशासन अधिकारी

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 1977

सं० O. II-1003/75-स्थापना—राष्ट्रपति ने कनिष्ट चिकित्सा अधिकारी, डाक्टर राधा मोहन नन्दा, बेस हास्पिटल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल नई दिल्ली, का त्यागपत्र दिनांक, 7-11-1977 अपराह्न से स्वीकृत कर लिया।

सं० O. II-1077/77-स्थापना—राष्ट्रपति डाक्टर रगलियास अली खां महाभनजै को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में जी० डी०

ओ० ग्रेड II (डी० एस० पी०/ कम्पनी कमाण्डर) के पद पर 17-12-77 अपराह्न से नियुक्त करते हैं ।

रा० के० बन्द्योपाध्याय
सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 1977

सं० ई०-38013/(3)/13/77-कार्मिक—जादूगोड़ा से स्थानांतरित होने पर, श्री जी० एस० नूरपरी ने 8 नवम्बर, 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट आई० पी० सी० एल० बड़ौदा के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार सम्भाल लिया ।

सं० ई० 38013(3)/ 15/77- कार्मिक—हैदराबाद में स्थानांतरित होने पर, श्री ए० एस० शेखावत ने 3 दिसम्बर, 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट भिलाई इस्पात लिमिटेड भिलाई के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

सं० ई० 38013(3)/15/77- कार्मिक—भिलाई से स्थानांतरित होने पर, श्री ए० एस० शेखावत ने श्री जे० गोम्स के स्थान पर 12 दिसम्बर, 1977 के अपराह्न से, के० औ० सु० ब० प्रशिक्षण कालेज हैदराबाद के उप-प्रधानाचार्य के पद का कार्यभार सम्भाल लिया । श्री जे० गोम्स ने उक्त पद का कार्यभार उसी तारीख से छोड़ दिया ।

सं० ई० 38013 (3) /17/77- कार्मिक—भिलाई को स्थानांतरित होने पर, श्री एस० पी० मूलचंदानी ने 16 नवम्बर 1977 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट आई० पी० सी० एल० बड़ौदा के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया ।

ली० सी० बिष्ट
महानिरीक्षक

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 27 दिसम्बर 1977

पत्र सं० बी० एन० पी० / सी०/23/77—इस कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक बी० एन० पी० / ई०/ 8/ एम०-6 दिनांक 27-9-77 के अनुक्रम में श्री एम० एल० नारायण, उपनियंत्रण अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति दिनांक 7/12/77 (पूर्वाह्न) से 3 मास की अवधि तक या पद के नियमित रूप से भरे जाने तक जो भी पहले हो निरन्तर की जाती है ।

पी० एस० शिवराम
महाप्रबन्धक

कार्यालय महालेखाकार

वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध

नई दिल्ली, दिनांक 30 दिसम्बर 1977

कार्यालयादेश सं० प्र० 1/ 158—महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध, नई दिल्ली श्री बलराम अनुभाग अधिकारी (लेखा एवम् लेखा परीक्षा) को 23-12-77 (अपराह्न) से अनन्तिम आधार पर अस्थायी तौर से लेखा अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

एस० एस० मान
उप महालेखाकार (प्र०)

मुख्य लेखा परीक्षक, का कार्यालय

उत्तर रेलवे

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1977

सं० प्रशासन/ 17-22/73—मुख्य लेखा परीक्षक, उत्तर रेलवे ने सर्वश्री राम लाल मैनी और हरचरण सिंह भाटिया को लेखा परीक्षा अधिकारी के कैडर में क्रमशः 1 अगस्त, 1977 और 1 नवम्बर 1977 से स्थायी रूप से नियुक्त किया है ।

कु० भारती प्रसाद
उप मुख्य लेखा परीक्षक

कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा

रक्षा सेवाएं

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 1977

सं० ए० प्रशासन / 130 /77—निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, निम्नलिखित अधिनस्थ लेखा सेवा के स्थाई सदस्यों को उनके सामने अंकित तिथि से लेखा परीक्षा अधिकारी के स्थानापन्न रूप में, आगामी आदेश तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

क्रम सं०	नाम	कार्यालय जहां नियुक्ति की गई है ।	नियुक्ति की तिथि ।
	सर्वश्री		
1.	एन० वैनकटा रमणन्	लेखा परीक्षा अधिकारी रक्षा सेवाएं, बिश्री ।	12-9-77
2.	आर० एल० जाटव	वरिष्ठ उप-मुख्य लेखा परीक्षा आयुद्ध फैक्टरी, जबलपुर ।	14-10-77
3.	आर० रघुनाथन	वरिष्ठ उप निदेशक लेखा परीक्षा रक्षा सेवाए दक्षिणी कमान, पूना ।	14-11-77

के० बी० दास भौमिक
वरिष्ठ उप-निदेशक लेखापरीक्षा

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-22, दिनांक 29 दिसम्बर 1977

सं० 71019(9)/77 प्रशा०-II—राष्ट्रपति, सन् 1976 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामस्वरूप निम्नलिखित व्यक्तियों को परिवीक्षार्थी के रूप मे भारतीय रक्षा लेखा सेवा में, उनके नाम के आगे दी गई तारीखों से सहर्ष नियक्त करते हैं।

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री जी० के० मेनन	7-11-77 (पूर्वाह्न)
2.	श्रीमति प्रीति पटनायक	18-7-77 (पूर्वाह्न)
3.	श्री सुहास बनर्जी	14-7-67 (अपराह्न)
4.	श्री अशोक कुमार चोपड़ा	12-7-77 (पूर्वाह्न)
5.	श्री राजेन्द्र प्रसाद जैन	8-11-77 (पूर्वाह्न)
6.	श्री अमित कौशिश	14-11-77 (अपराह्न)
7.	श्री प्रदीप के० दास	13-12-77 (पूर्वाह्न)
8.	श्री कंवल मनजीत अंगुराला	7-11-77 (पूर्वाह्न)

वी० एस० भीर

रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक

रक्षा लेखा नियंत्रक

(अन्य श्रेणी)

मद्रास-18, दिनांक 24 सितम्बर 1977

केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 नियम 5 के उपनियम (1) के प्रावधान के अंतर्गत जारी किए गए सेवा समाप्ति का आदेश।

सं० प्रशा० / 11/8316769 :— केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम 1965 के नियम 5 के उपनियम (1) के प्रावधान के अनुसार, मैं श्रीमती वी० ए० वसन्त कुमारी अस्थायी लेखा परीक्षक लेखा संख्या 836769 की सेवा तुरन्त समाप्त करता हूं और निर्दिष्ट करता हूं कि जो वेतन भत्ते वह सेवा समाप्ति के तुरन्त पहले पा रही थी, उसी वेतन भत्ते के बराबर की धनराशि सूचना-अवधि के लिए भी अथवा अपेक्षित सूचना अवधि में जितना दिन कम पड़ता है उतने दिन के वेतन भत्ते पाने का हकदार होगी (यथा प्रसंग जैसी बात हो)।

आर० वेंकटरामन,

रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य श्रेणी)

महानिदेशालय, आर्डनेन्स फैक्टरियां

भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां सेवा

कलकत्ता, दिनांक 27 दिसम्बर 1977

स० 84/77/जी० —राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक प्रबन्धक परखावधि (परखावधि पर) उनके सामने दर्शायी गयी तारीख से नियुक्त करते हैं :—

श्री बृज वल्लभ शर्मा	10 वीं अप्रैल, 1973
डा० एन० वी० मुरलीधरन्	21 वीं मार्च, 1973
डा० प्रतुल नाथ चक्रवर्ती	1 वीं मार्च, 1973
श्री मिलन कुमार घोष	29 वीं मार्च, 1973
श्री अशोक विश्वास	10 वीं अप्रैल, 1973
श्री अभीक कुमार मुखोपध्याय	29 वीं मार्च, 1973
श्री कृष्णैयर विश्वनाथन्	29 वीं मार्च, 1973
श्री राम प्रकाश शर्मा	19 वीं फरवरी, 1973
श्री मुन्नी लाल	22 वीं मार्च, 1973
श्री भिज वेनेडिक्ट	20 वीं फरवरी, 1973
श्री बालचन्द्र शिवराय शिरुर	4 वीं अप्रैल, 1973
डा० विश्वम्भर नाथ सिंह	30 वीं अक्तूबर, 1973
डा० देव रंजन मिश्रा	7 वीं० फरवरी, 1974
श्री रामास्वामी कृष्णन्	28 वीं सितम्बर, 1973
श्री सुब्रमनियन् रामामूर्ति	12 वीं० अक्तूबर, 1973
श्री वासदेव प्रकाश हजैला (विमुक्त)	30 वीं नवम्बर, 1973
श्री हरजीत सिंह	6 वीं जुलाई, 1974
डा० प्रणव कुमार सन्याल	10 वीं जून, 1974
डा० ओम प्रकाश यादव	7 वीं मई, 1974
डा० संजय कुमार घोष	1 वीं जुलाई, 1974
डा० स्वदेश रंजन चक्रवर्ती	29 वीं अप्रैल, 1975
श्री सुभाष चन्द्र माजी	7 वीं जनवरी, 1975
श्री विनोद बिहारी फारस	10 वीं मार्च, 1975
श्री भरत चन्द्र मण्डल	21 वीं नवम्बर, 1974
डा० काजी घजनफार अली	11 वीं अप्रैल, 1975
श्री श्री निवासन नरसिंहन्	10 वीं जुलाई, 1975
डा० राम सनेही	10 वीं अप्रैल, 1975
श्री अरुण कुमार कल्सी	28 वीं अप्रैल, 1975
डा० दिग् विजय लाल रेवाल	3 सरी अप्रैल, 1975
डा० अजय कुमार बोस	10 वीं अप्रैल, 1975
श्री दीपक कुमार सरकार	1 वीं अक्तूबर, 1975

सं० 85/77/जी० —राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक प्रबन्धक परखावधि (परखावधि पर) उनके सामने दर्शायी गई तारीख से नियुक्त करते हैं :—

श्री गुरचरण सिंह भुल्लर (विमुक्त)	3 सरी जुलाई, 1975
श्री के० एम० रवि कुमारन् नायर	22 वीं जनवरी, 1973
श्री अजीत एम० नायक	7 वीं फरवरी, 1973
श्री जो० वीरभद्रप्पा सिवकुमार	18 वीं दिसम्बर, 1972
श्री मालाकिशवरिअथू श्रीधरा जयप्रकाश	7 वी फरवरी, 1973
श्री अशोक कुमार ग्रोवर	6 वीं फरवरी, 1973
श्री शरत् चन्द्र गुप्ता	9 वीं फरवरी, 1973
श्री अयन्त कुमार अग्रवाल	25 वीं मई, 1973
श्री उमेश माधव प्रभू देसाई	11 वीं जनवरी, 1973
श्री रामावतार अग्रवाल	24 वीं जनवरी, 1973
श्री मनीन्द्र नाथ पुटाटुण्डा	29 वीं दिसम्बर, 1972
श्री सुभाष चन्द्र	30 वीं मई, 1973
श्री अजय शंकर	1 वीं फरवरी, 1973
श्री एस० चन्द्रशेखर	21 वीं मार्च, 1973
श्री अशोक कुमार अग्रवाल	30 वीं दिसम्बर, 1972

श्री जयतिलक विश्वास	7 वीं फरवरी, 1974
श्री कृष्णमोहन अद्दी (दिवंगत)	7 वी फरवरी, 1974
श्री अनिल कुमार सिंह	7वी मार्च, 1974
श्री टी० के० विजयराघवन्	19वीं मार्च, 1974
श्री अनन्त शंकर पुंडली	7वीं फरवरी, 1974
श्री अभिमान प्रसाद त्रिपाठी	7वी फरवरी, 1974
श्री सुभाष चन्द्र तालुकदार	19वीं मार्च, 1974
श्री विजय कुमार जैन	4वीं जून, 1974
श्री अभयनन्दन प्रसाद	6वीं मई, 1964।
श्री रवीन्दर मोहन गुप्ता	7वी फरवरी, 1974
श्री हेमन्त शंकर पुंडली	7वीं फरवरी, 1974
श्री मंगलेश कुमार सुराना	27वी जून, 1974
श्री अशोक कुमार	7वीं मार्च, 1974
श्री हरदीप सिंह (विमुक्त)	1ली अगस्त, 1974
श्री पी० प्रकाश राव	7वीं फरवरी, 1974
श्री प्रताप चन्द अरोरा	25वीं मार्च, 1974
श्री देशराज नागपाल	7वीं फरवरी, 1974
श्री के० चन्द्र मोहन राव	7वी फरवरी, 1974
श्री सुकुमार कोले	8वी जुलाई, 1974
श्री उमाकांत कुलश्रेष्ठ	7वी फरवरी. 1974
श्री सेबासतयन जौसेफ	7वी मई, 1974
श्री जय प्रकाश शर्मा	7वीं जून, 1974
श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	4थी मार्च, 1974
श्री रमेश चन्दर अरोरा	2सरी फरवरी, 1975
श्री एस० राजागोपालन्	7वी फरवरी, 1974
श्री लक्ष्मण कुमार	29वीं मार्च, 1974
श्री आर० पद्मनाभन् नायर	7वीं फरवरी, 1974
श्री मेहर सिंह	7वीं फरवरी, 1974
श्री पुलक कान्ति भौमिक	1ली जन, 1974
श्री नन्द कुमार	1ली मार्च, 1974
श्री भूप सिंह	27 वीं अप्रैल, 1974
श्री महेश प्रसाद	7 वी फरवरी, 1974
श्री अरीप्पा कुंगट्टी सुरेन्द्रन्	2 सरी , दिसम्बर, 1974
श्री कृष्ण कुमार गर्ग	13 वीं जनवरी, 1975
श्री दिनेश मोहन गुप्ता	28 वी नवम्बर, 1974
श्री समीन्द्र नाथ दत्ता	17 वीं फरवरी, 1975
श्री सुशील ठाकुर	31 वी मार्च, 1975
श्री कृष्ण गोपाल गुप्ता	18 वीं नवम्बर, 1974
श्री रमन गुम्बर	7 वीं फरवरी, 1975
श्री प्रकाश नारायण	10 वी फरवरी, 1975
श्री सीता राम अग्रवाल	3 सरी जनवरी, 1975
श्री कृष्ण स्वरूप गुप्ता	17 वीं फरवरी, 1975
श्री बाबू राम मोंगा	23 वीं अप्रैल, 1975
श्री अनील कुमार शुक्ला	2 सरी दिसम्बर, 1974
श्री राजीन्दर कुमार	17 वीं जनवरी, 1975
श्री राकेश बाबू	29 वीं अप्रैल, 1975
श्री शाहब अहमद	17 वीं फरवरी, 1975
श्री अशोक कुमार मलिक (विमुक्त)	28 वीं नवम्बर, 1974
श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता	17 वी फरवरी, 1975
श्री सतीश चन्दर मलहोत्रा	25 वी नवम्बर, 1974

दिनांक 29 दिसम्बर 1977

सं० 86/77/जी० :—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को स्थानापन्न उप-प्रबन्धक के पद पर, उनके सामने दर्शायी गई तारीख से, आगामी आदेश होने तक, नियुक्त करते हैं :—

श्री के० के० भट्टाचार्जी, स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक 19 वी सितम्बर, 1977।

सं० 87/77/जी० :—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को स्थानापन्न प्रबन्धक के पद पर, उनके सामने दर्शायी गई तारीख से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

श्री श्रीकृष्ण दास, स्थायी उप-प्रबन्धक , 30 जून, 1977।

एम० एन० शुक्ला,
सहायक महानिदेशक,
आर्डनैन्स फैक्टरियाँ

कलकत्ता, दिनांक 29 दिसम्बर 1977

सं० 2/77/ ए०/ एम० :—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से, आगामी आदेश होने तक, नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम एवं पद	नियुक्ति स्थान	दिनांक
1.	डा० सुभाष चन्द्र मिश्रा, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	आर्डनन्स फैक्टरी, दमदम	5-10-77
2.	डा० जोगेन्द्र नाथ प्रस्ती, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी, ईशापुर	10-10-77
3.	डा० पी० बी० रामा-सुब्बा रेड्डी, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	वेहिकल फैक्टरी, जबलपुर।	10-10-77
4.	डा० बी० के० गौर, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	आर्डनैन्स फैक्टरी, चन्दा।	24-9-77
5.	डा० के० पी० सोम-कुमार, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	आर्डनैन्स फैक्टरी अम्बरनाथ।	3-10-77
6.	डा० विनय कुमार चढ़ा सहायक चिकित्सा अधिकारी।	क्लोथिंग फैक्टरी, शाहजहाँपुर।	10-10-77
7.	डा० केशव सिंह सागर, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	गन एण्ड शेल फैक्टरी, काशीपुर	5-9-77
8.	डा० प्रतिपाल, सहायक चिकित्सा अधिकारी	आर्डनैन्स उपस्कर फैक्टरी, कानपुर।	29-9-77

1	2	3	4
9.	डा० (कुमारी) सावित्री झारिया, सहायक चिकित्सा अधिकारी ।	आर्डनैन्स फैक्टरी, भण्डारा	1-9-77
10.	डा० श्रीकृष्ण महापात्र, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	आर्डनैन्स फैक्टरी, भण्डारा	30-8-77
11.	डा० (श्रीमती) गीता महन्ती, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	गन एण्ड शेल फैक्टरी, काशीपुर	29-9-77
12.	डा० पी० बी० प्रकाश राव, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर	3-10-77
13.	डा० बी० नागेश्वर राव सुबुधि, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	अम्युनिशन फैक्टरी, किरकी	27-9-77
14.	डा० पी० बी० चन्द्रन, सहायक चिकित्सा अधिकारी ।	अम्युनिशन फैक्टरी, किरकी	5-9-77
15	डा० डी० श्रीनिवासन, सहायक चिकित्सा अधिकारी ।	आर्डनैन्स फैक्टरी वरनगाव	14-9-77
16.	डा० सुन्दरेश कुमार पी०, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	आर्डनैन्स फैक्टरी, खमरिया	7-10-77
17.	डा० प्रफुल्ल कुमार रथ, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	आर्डनैन्स फैक्टरी, खमरिया	7-9-77
18.	अरुण राय, सहायक चिकित्सा अधिकारी	गन एण्ड शेल फैक्टरी, काशीपुर	12-9-77
19.	डा० बी० राजेन्द्रन्, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	आर्डनैन्स फैक्टरी, खमरिया	13-10-77
20.	डा० सचित्रा नन्द, महन्ती, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी, ईशापुर.	17-8-77
21.	डा० वी० जे० जोस, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	काडाईट फैक्टरी अरुवागडू ।	6-9-77
22.	डा० मोहन्त के० लैंगथाम, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	आर्डनैन्स फैक्टरी, कटनी।	19-9-77
23.	डा० आर० एम० कृष्णमूर्ति, सहायक चिकित्सा अधिकारी ।	अम्युनिशन फैक्टरी किरकी।	10-10-77
24.	डा० हेमेन्द्र सिंह, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	क्लोदिंग फैक्टरी, शाजहापुर	10-10-77
25.	डा० पी० कृष्णमूर्ति, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	आर्डनैन्स फैक्टरी, कानपुर ।	15-9-77
26.	डा० ए० त्यागी, सहायक चिकित्सा अधिकारी	अम्युनिशन फैक्टरी किरकी	5-9-77
27.	डा० बालकृष्ण पण्डा, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	राइफल्स फैक्टरी, ईशापुर	7-10-77
28	डा० एन० पी० श्रीधर, सहायक चिकित्सा अधिकारी ।	आर्डनैन्स फैक्टरी, खमरिया	6-10-77
29.	डा० एम० जी० वशिष्ट सहायक चिकित्सा अधिकारी।	आर्डनैन्स फैक्टरी, अम्बाझारी	20-10-77
30	डा० विश्वनाथ साहा, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	मेटल एण्ड स्टील फैक्टरी, ईशापुर.	15-9-77
31.	डा० एम० आर० एल० कुमार, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	क्लोदिंग फैक्टरी, अबादी	1-11-77
32.	डी० वी० एम० चन्द्रशेखरन्, सहायक चिकित्सा अधिकारी।	वोहिकल फैक्ट्री जबलपुर	7-11-77

पी० एन० त्रिखा
स्वास्थ्य सेवा निदेशक
कृते महानिदेशक, आर्डनैन्स फैक्टरिया

विस्फोटक सामग्री विभाग

नागपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 1977

स० ई०-II (7) —इस विभाग के दिनांक 11 जुलाई, 1699 के अधिसूचना स० ई०-II (7) में —

श्रेणी-2 नाइट्रेट मिश्रण के अधीन

(i) प्रविष्टि "परमेक्सी-5" में "1977" अंको के स्थान पर "1978" अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

(ii) श्रेणी-3-भाग -1
प्रविष्टि "सीलिप्रूफ" में "1977" अंको के स्थान पर "1978" अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

ध्रुव नरसिंह मूर्ति
मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन-अनुभाग-I)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 1978

सं० प्र०-1/1 (882)/II —राष्ट्रपति, भारतीय पूर्ति सेवा ग्रुप ए के ग्रेड-II के अधिकारी श्री सुरजीत लाल के भारतीय परियोजना और उपकरण नियम लि० से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर उन्हें पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिली में दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों को जारी होने तक उप निदेशक पूर्ति (भारतीय सेवा ग्रुप ए के ग्रेड-II) के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

सूर्य प्रकाश

उप निदेशक (प्रशासन)

कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1977

सं० 4 (74)/77-एस०-I --महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्रीमती कैलाश कुमारी गुप्ता को आकाशवाणी कुसियांग में 1-12-1977 से अगले आदेशों तक कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते है।

नन्द किशोर भारद्वाज

प्रशासन उपनिदेशक

कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई 400085, दिनांक 31 दिसम्बर 1977

सं० डी०/1375/एफ० आर० डी०/स्था०I/9834—निम्नलिखित आदेश जो 23 नवम्बर, 1977 को रसीदी रजिस्ट्री द्वारा इस अनुसंधान केन्द्र के श्री जाली एन्थोनी डीकास्टा, कारीगर 'ए' को उनके पते पर भेजा गया था। डाक अधिकारियों की दिनांक 28 नवम्बर की इस टिप्पणी के साथ क्योंकि "जगह छोड़ गया, इसलिए भेजने वाले को लौटा दिया गया" वापिस आ गया। अतः इस आदेश को राजपत्र में प्रकाशित करना है।

आदेश

नियुक्ति प्रस्ताव सं० पी० ए०/63 (18)/76-आर०-II दिनांक 18/19 मार्च, 1977 के पैरा 1 (ए०) और ज्ञापन पत्र सं० पी० ए०/डी०/1375/आर०-1 दिनांक 20 जुलाई, 1977 के अनुसार श्री जाली एन्थोनी डी'कास्टा, कारीगर 'ए' प्रेफी की सेवाएं, जो परिवीक्षा पर थे, तुरन्त समाप्त की जाती हैं।

जी० बी० कुलकर्णी

अध्यक्ष

परमाणु ऊर्जा विभाग

भारी पानी परियोजनाएं

बम्बई, दिनांक 29 दिसम्बर 1977

सं० 05045/77/6800--भारी पानी परियोजनाओं के, विशेष-कार्य-अधिकारी, श्री हशमत विशनदास अवत्रामणी, स्थायी सहायक तथा स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी III, भारी पानी परियोजना (कोटा) जो अब बाह्य सेवा राष्ट्रीय संस्था श्रम अभियान्त्रिक प्रशिक्षण बम्बई में हैं, को भारी पानी परियोजनाओं में एक अगस्त, 1977 से मौलिक रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० भापापएं/स्था०/1/ध-39/6801 --भारी पानी परियोजनाओं के विशेष-कार्य-अधिकारी, श्री यशवन्त पुरुषोत्तम घारपुरे, स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक, भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र तथा स्थानापन्न प्रवर प्रक्रम लिपिक, भारी पानी परियोजनाएं (मुख्य कार्यालय) को उसी कार्यालय में 11 नवम्बर, 1977 से 24 नवम्बर, 1977 तक की अवधि के लिए श्री र० न० रामचन्दानी सहायक कार्मिक अधिकारी, जिन का छुट्टी बढ़ाना स्वीकार कर लिया गया है, के स्थान पर सहायक कार्मिक अधिकारी, नियुक्त करते हैं।

दिनांक 30 दिसम्बर 1977

सं० 05052/77/6838 --भारी पानी परियोजनाओं के, विशेष-कार्य-अधिकारी, श्री डी०पी० माथुर, स्थायी लिपिप्रक्रम-I तथा स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी (लेखा) पश्चिम रेलवे जो अब भारी पानी परियोजना (बड़ौदा) मे सहायक लेखा अधिकारी प्रति नियुक्त हैं, को उसी परियोजना में तदर्थ आधार पर 21 नवम्बर, 1977 से 24 दिसम्बर, 1977 तक श्री आर० बी० कुलकर्णी, लेखा अधिकारी, जो छुट्टी पर गए हैं, के स्थान पर अस्थायी तौर पर स्थानापन्न लेखा अधिकारी नियुक्त करते है।

टी० सी० सत्यकीर्ति

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग

इसरो उपग्रह केन्द्र

बंगलौर, दिनांक 17 दिसम्बर 1977

सं० 020/3 (061)/77--इसरो उपग्रह केन्द्र के निदेशक निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नामों के सामने दिए गए पदों पर तथा तारीखों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक, अस्थायी रूप में अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह बंगलौर में नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	तारीख
1.	श्री आर० शिल्वा कुमार	इंजीनियर एस० बी०	1-9-1977
2.	श्री पी० आर० रामराज	इंजीनियर एस० बी०	30-9-1977

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	श्री मोहम्मद गौस	इंजीनियर एस० बी०	10-10-77
4.	श्री ए० नारायणस्वामी	इंजीनियर एस० बी०	14-11-77
5.	श्री सईद तमिजुद्दीन	इंजीनियर एस० बी०	12-12-77

एम० के० बसु,
प्रशासन अधिकारी

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 दिसम्बर 1977

सं० ए० 31013/3/76-ई० ए०—राष्ट्रपति ने श्री के० गोपाल, वरिष्ठ विमान सुरक्षा अधिकारी को नागर विमानन विभाग के विमानमार्ग और विमानक्षेत्र संगठन में 13 सितम्बर, 1977 से वरिष्ठ विमानक्षेत्र अधिकारी के ग्रेड में स्थाई रूप से नियुक्त किया है।

विश्व विनोद जौहरी,
सहायक निदेशक प्रशासन

वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

देहरादून, दिनांक 27 दिसम्बर 1977

सं० 16/279/77-स्थापना I:—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, श्री मैथ्यू जार्ज को दिनांक 9 दिसम्बर, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, के अधीन कोयम्बटूर में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 'वन मृदा प्रयोगशाला, वन मृदा व वनस्पति सर्वेक्षण' स्कीम में सहर्ष अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करते है।

दिनांक 28 दिसम्बर 1977

सं० 16/264/77-स्थापना-I:—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, श्री हिमाद्रि रंजन धर, वन राजिक, त्रिपुरा वन विभाग को दिनांक 11 जुलाई, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय देहरादून, के अधीन बर्निहाट में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 'बीज कोष और बीज सुधार तथा वृक्ष प्रजनन केन्द्र स्थापना' स्कीम में सहर्ष अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करते है।

दिनांक 29 दिसम्बर 1977

सं० 16/276/77-स्थापना-I —अध्यक्ष, वन अनुसधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, श्री दिनेश प्रसाद उनियाल, अनुसंधान सहायक वर्ग प्रथम को दिनांक 27 अक्तूबर, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, के अधीन पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत "(1) बीज कोष और (2) बीज सुधार और वृक्ष प्रजनन स्कीम, हैदराबाद" के देहरादून केन्द्र में सहर्ष अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 31 दिसम्बर 1977

सं० 16/275/77-स्थापना-I:—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, श्री सी० जे० एस० के० इम्मानुएल को दिनांक 15 दिसम्बर, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून, के अधीन पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत (1) बीज कोष और (2) बीज सुधार और वृक्ष प्रजनन केन्द्र, कोयम्बटूर स्कीम में, सहर्ष अनुसंधान अधिकारी नियुक्त करते है।

पी० आर० के० भटनागर,
कुल सचिव
वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय

बम्बई, दिनांक दिसम्बर 1977

सं० 11/3-ई० (ए) 2/77-पार्ट-1—निम्नलिखित वरित श्रेणी निरीक्षकों ने पदोन्नति पर बम्बई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय में स्थानापन्न अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'बी' के रूप में अपने नामों के आगे अंकित तारीखों को कार्यभार सम्भाल लिया है:

क्रम संख्या	नाम	कार्यभार सम्भालने की तारीख
(1)	(2)	(3)
1.	श्री एस० के० मखीजानी	20-4-76 (अपराह्न)
2.	श्री सी० वाई० देवस्थली	1-5-76 (पूर्वाह्न)
3.	श्री पी० ए० चोणकर	28-6-76
4.	श्री गुरु शरण सिंह	28-6-76
5	श्री जे० सी० पटेल	21-6-76
6.	श्री एस० एस० रिसबुड	23-6-76
7.	श्री एम० जे० डिसोजा	24-6-76
8.	श्री वी० के० जोशी	30-6-76
9.	श्री ए० एफ० गोन्सालविस	23-6-76
10.	श्री जे० टी० केशवानी	26-6-76
11.	श्री ए० के० खोपकर	26-6-76
12.	श्री बी० एस० पवार	22-6-76
13.	श्री वी० डी० सूरती	24-6-76
14.	श्री एल० आर० अहिरे	9-6-76

(1)	(2)	(3)
15.	श्री बी० ए० काम्बले	8-9-76
16.	श्री बी० टी० मोरे	7-9-76
17.	श्री एस० बी० काम्बले	24-9-76
18.	श्री बी० एन० कावले	4-10-76
19.	श्री पी० जी० गरुड़े	6-10-76
20.	श्री एच० जे० नेट्टो	7-2-77
21.	श्री बी० डी० पटेल	9-2-77
22.	श्री एस० बी० बन्जारे	8-2-77
23.	श्री बी० डी० नातू	7-2-77
24.	श्री आर० के० पडकी	8-2-77
25.	श्री जी० वी० धारप	7-2-77
26.	श्री आर० एस० पंजवानी	19-2-77
27.	श्री एस० जी० नान्दे	1-3-77
28.	श्री बी० एन० सिंह	25-3-77
29.	श्री ए० बी० वैद्य	5-4-77
30.	श्री आर० एम० राजाध्यक्ष	4-6-77
31.	श्री आर० एन० भोसले	8-7-77
32.	श्री के० एल० देसाई	19-7-77
33.	श्री एन० के० चव्हाण	21-7-77

ई० आर० श्रीकण्ठय्या
समाहर्ता

कानपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 1977

सं० 127/77—श्री जे० पी० मशरात निरीक्षक (प्रवरण कोटि) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ने, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ख' वेतनमान रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200, के पद पर अपनी पदोन्नति के फलस्वरूप देखिये इस कार्यालय के पृष्ठांकन प० सं० 11-140-ई० टी०/79/पार्ट/44626, दिनांक 23-9-77 के अन्तर्गत निर्गत कार्यालय स्थापना आदेश सं० 1/ए/354/77, दिनांक 23-9-77 अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क गाजियाबाद-1 के पद का कार्यभार दिनांक 24-9-77 (पूर्वाह्न) ग्रहण किया।

सं० 128/77—श्री दमन सिंह, कार्यालय, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जिनकी पदोन्नति प्रशासन अधिकारी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ख' के सम्वर्ग में हुई है, देखिये पृष्ठांकन पत्र सं० 11(3) 98-ई० टी०/77/6839, दिनांक 11 मार्च, 1977 के अन्तर्गत निर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, इलाहाबाद/कानपुर का स्थापना आदेश में श्री आर० पी० नन्दा, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कानपुर-1 को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वर्ग 'ख', कानपुर-1 मंडल कार्यालय का कार्यभार दिनांक 4-6-1977 (पूर्वाह्न) को ग्रहण किया।

के० पी० आनन्द,
समाहर्ता

पटना, दिनांक 3 जनवरी 1978

सं० 11(7) 1-स्था०/77/58—केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय पटना के श्री एन० एस० मुखर्जी, स्थानापन्न सहायक समाहर्ता अपनी सेवा की आयु पूरी कर दिनांक 31-8-77 के अपराह्न में सेवा निवृत्त हुए।

सं० 11(7) 1-स्था०/77/59—केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय, पटना के निम्नलिखित अधीक्षक श्रेणी 'बी' अपनी सेवा की आयु पूरी कर। उनके नामों के सामने दिए गये तिथि और समयानुसार सेवा निवृत्त हुए :

क्रमांक	नाम	सेवा निवृत्त होने की तिथि
1.	श्री के० पी० चौधरी	31-8-77 (अपराह्न)
2.	श्री बी० एन० श्रीवास्तव	30-9-77 (अपराह्न)
3.	श्री आर० के० पी० सिन्हा	30-10-77 (अपराह्न)
4.	श्री जे० एन० बहादर	30-11-77 (अपराह्न)
5.	श्री बी० निकोलस	30-11-77 (अपराह्न)

हरि नारायण साहू,
समाहर्ता

नारकोटिक्स विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 दिसम्बर 1977

सं० 9—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, इलाहाबाद से स्थानांतरण पर श्री एच० एस० वेदी, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधीक्षक समूह 'ख' ने जो 7 सितम्बर, 1977 के पूर्वाह्न में जिला अफीम अधिकारी, भवानीमंडी का कार्यभार संभाल लिया।

सं० 10—चित्तौड़गढ़-1 प्रभाग से स्थानांतरण पर श्री डी० बी० शर्मा, जिला अफीम अधिकारी ने 7 सितम्बर, 1977 के पूर्वाह्न में जिला अफीम अधिकारी, बदायूं का कार्यभार संभाल लिया।

क्र० सं० 11— भवानीमंडी से स्थानांतरण पर श्री एच० एस० बेदी, जिला अफीम अधिकारी, ने 18 सितम्बर, 1977 के पूर्वाह्न में जिला अफीम अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का कार्यभार संभाल लिया।

क्र० सं० 12—ग्वालियर से स्थानांतरण पर श्री डी० डी० शर्मा, आसूचना अधिकारी ने 4 नवम्बर, 1977 के पूर्वाह्न में जिला अफीम अधिकारी, अकलेरा का कार्यभार संभाल लिया।

म० ला० वधावन,
नारकोटिक्स आयुक्त

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-22, दिनांक 31 दिसम्बर 1977

सं० क-19012/629/76-प्रशासन पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग श्री एस० आर० शर्मा, वरिष्ठ व्यवसायिक सहायक (प्रकाशन) को स्थानापन्न रूप से केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक (प्रकाशन) की श्रेणी में 650-30-740-35-810-द० रो०-35 880-40-1000-द०रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में पूर्णतया अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर 12-12-77 (पूर्वाह्न) से छः महीने की अवधि के लिये अथवा सहायक निदेशक (प्रकाशन) के पद की नियमित रूप से भरे जाने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

श्री एस० आर० शर्मा ने केन्द्रीय जल आयोग म अतिरिक्त सहायक (प्रकाशन) के पद का कार्यभार उपर्युक्त तारीख और समय से ग्रहन किया।

ज० के०साहा,
अवर सचिव
केन्द्रीय जल आयोग

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1977

सं० 77/ई० बी०/707--सर्वसाधारण के सूचनाथ एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि बड़ी और मीटर लाइन वाले वर्तमान सिकन्दराबाद मंडल को 17 नवम्बर, 1977 से दो मंडलों में अर्थात् हैदराबाद (मीटर लाइन) मंडल और सिकन्दराबाद (बड़ी लाइन) मंडल में विभाजित कर दिया गया है। दोनों मंडल दक्षिण-मध्य रेलवे के नियंत्रण में रहेंगे। मंडलों की अधिकार क्षेत्र की सीमाएं निम्नलिखित हैं :—

मुख्यालय	अधिकार क्षेत्र
1	2
1. हैदराबाद (मीटर लाइन)	यह मंडल एक मण्डल अधीक्षक के अधीन होगा और मीटर लाइन प्रणाली अर्थात् द्रोणाचलम (छोड़कर) से मनमाड (छोड़कर), परभनी परली बैजनाथ, मुडखेड आदिलाबाद और जनकमपेट-बोधन शाखा लाइनें इसके अधिकार क्षेत्र में होंगी। जुड़वां शहर के क्षेत्र में स्थित सभी कल्याण संस्थाएं, स्कूल, कालेज और अस्पताल मंडल अधीक्षक (मीटर लाइन) के अधीन होंगे। इस मीटर लाइन प्रणाली से संबंधित सभी पत्र मंडल अधीक्षक कार्यालय हैदराबाद (मीटर लाइन) सरोजनी देवी रोड, सिकन्दराबाद-500025 के नाम भेजे जायं।
2. सिकन्दराबाद (बड़ी लाइन)	बाड़ी (छोड़कर)-हैदराबाद-सिकंदराबाद — काजीपेट, काजीपेट - बल्हारशाह (छोड़कर), काजीपेट -रायानापाड (छोड़कर) द्रोणाकल-कारेपल्ली - सिंगारेणी-कारेपल्ली - भद्राचलम रोड और निकारबाद परली बैजनाथ की बड़ी लाइन प्रणाली मंडल अधीक्षक, सिकंदराबाद (बड़ी लाइन) के अधीन रहेगी। इस प्रणाली से संबंधित सभी पत्र मंडल अधीक्षक कार्यालय सिकंदराबाद (बड़ी लाइन) सरोजिनी देवी रोड, सिकंदराबाद-500025 को भेजे जायें।

बी० मोहन्ती
सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
पदेन संयुक्त सचिव

उत्तर रेलवे
प्रधान कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 1977

सं० 21—डा० के० राम० वैद स्थानापन्न सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी वेतनमान रु० 700-1600 (श्रेणी-1), दिनांक 30-11-77 अपराह्न से इस रेलवे से सेवा मुक्त हो गय हैं।

जी० एच० केसवानी
महाप्रबंधक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
कम्पनी कार्य विभाग
कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय
कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स दी इन्डेनटर्स सेन्डीकेट (प्राईवेट) लिमिटेड के विषय में ।
बम्बई, दिनांक 29 दिसम्बर, 1977

सं० 4938/560(3)--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 590 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मेसर्स दी इन्डेनटर्स सेन्डीकेट (प्राईवेट) लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मसर्स टेकनीसन्स इनफेक्टीव एडवरटाइसिंग एण्ड मारकेटिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में ।
बम्बई, दिनांक 29 दिसम्बर 1977

सं० 15149/560 (3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मसर्स टेक्नीशन्स इनफक्टरीज एडवरटाईसिंग एण्ड मारकेटिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

व्हि० वाय० राणे
कम्पनियों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भुवनेश्वर

भुवनेश्वर, दिनांक 2 जनवरी 1978

निर्देश सं० 62/77-78/आईएसी (ए०/आर०) बी० बी० एस० आर०—अतः मुझे अमरेन्द्र नाथ मिश्र

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी वार्ड नं० 10 है, जो भुवनेश्वर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, भुवनेश्वर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8-4-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती आशालता मिश्र (2) निलकंठ मिश्र (अन्तरक)
2. मैनेजिंग डायरेक्टर, उड़ीसा फोरेस्ट कारपोरेशन लिमिटेड (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन के अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दोमंजला मकान, वार्ड नं० 10, होलड़ी नं० 1790 भुवनेश्वर में स्थित है। वह संपत्ती भुवनेश्वर सब रजिस्ट्रार आफिस में 8-4-77 तारीख में रजिस्ट्रर हुआ; जिसके डाकुमेंट नं० 2381 है।

अमरेन्द्र नाथ मिश्र,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भुवनेश्वर

दिनांक 2-1-78

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-I दिल्ली-1

4/14क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस आर-III/37/मई 1(21)/77-78/4906—अतः मुझे, जे० एस० गिल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या जे-71 है तथा जो कालका जी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 9-5-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री रामदित्ता मल, सुपुत्र श्री साधु राम, निवासी 292, गोबिन्दपुरी, गली नं० 4, कालकाजी, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. डा० विरन्द्र कुमार नारंग, सुपुत्र श्री राम सरन नारंग, निवासी 78, अमृतपुरी, लाजपत नगर, नई दिल्ली। इनके जनरल अटारनी श्री राम सरन नारंग के द्वारा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 71, ब्लाक नं० 'जे' जिसका क्षेत्रफल 347 वर्ग गज है, कालकाजी, नई दिल्ली मे निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : रोड़
पश्चिम : सर्विस लेन
उत्तर : प्लाट-नं० 70
दक्षिण : प्लाट नं० 72

जे० एस० गिल,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, दिल्ली, नई दिल्ली।

तारीख : 4-1-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 3 जनवरी 1978

निर्देश सं० 400/अर्जन रेज-III/77-78/कल—अतः मुझे किशोर सेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी प्लाट सं० "बि", 5वां मंजिल है तथा जो सं० 2, मंडेभीले गार्डेन्स, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-4-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. मैसर्स बोनरसोप प्लाट स्कीम प्रा० लि०, 9 हरिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता-16 (अन्तरक)

2. प्रनब कुमार दे, 132 नगेन्दननाथ रोड, कलकत्ता-28। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क मे यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

2, मंडेभीले गार्डेन्स पर स्थित "जयजयन्ती" नामके मकान का 5वां मंजिल का प्लाट सं० "बि" जो के रजिस्ट्रार आफ असियोरेन्सेस, कलकत्ता के सामने टसील सं० 1-1801, (1977 का) द्वारा अन्तरित हुआ है।

किशोर सेन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रज-III, 54, रफी अहमद किदवई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख 3-1-1978 :

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन, रेंज कानपुर

कानपुर, दिनांक 20 दिसम्बर, 1977

निदेश सं० 913-A/अर्जन/(कानपुर)/7778/7117: अतः मुझे आर० पी० भार्गव
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं०.....है तथा जो.....में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 18-4-1977 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री दीपक गर्ग 113/208 स्वरूप नगर, कानपुर (अन्तरक)

2. श्रीमती विमला मल्होत्रा एवं काली चरन मेहरोत्रा 7/77 तिलक नगर, कानपुर (अन्तरिती)

3. श्री राजेन्द्र कुमार, पी० जी० थोमस, पी० सी० कोनान गायत्री त्रिपाठी कमल भान ये० एन० सांम्याल एवं एस० के० सिंह (सभी किराएदार)। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति मकान नं० 117/42 सर्वोदय नगर कानपुर 1,00,000/- के विक्रय मूल्य में बेची गयी।

आर० पी० भार्गव,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 20-12-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, बम्बई

बम्बई, दिनांक 5 जनवरी, 1977

निर्देश सं० अ० ई० 1/2015-1/मई-77—अतः मुझे एफ० जे० फर्नान्डीज्
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० सी० एस० नं० 5/66 का मालबार और कंबा हिल डिवीजन है तथा जो अल्टामाउंट रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई, मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 19) के अधीन, तारीख 6-5-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री शंकर भाई आर० पटेल (अन्तरक)

2. (1) श्री बहलचंद ए० जैन, (2) एम० बी० जन, (3) वी० ए० जैन, (4) के० बी० जन, (5) आर० ए० जैन (अन्तरिती)

3. किराएदार (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख नं० 2339/71/बम्बई उप रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 6-5-1977 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एफ० जे० फर्नाडीज़,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज 1, बम्बई

तारीख : जनवरी, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 बम्बई

बम्बई, दिनांक 6 जनवरी 1978

निर्देश सं० अ० इ० 1/2018-4/मई-77——अतः मुझे, एफ० जे० फर्नान्डीज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सी० एस० नं० 1/39 का लोअर पारेल डिवीजन है तथा जो जेकोब सर्कल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 7-5-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. स्टार कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन (अन्तरक)

2. दि मानगार्ड अपार्टमेंट को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लि० (अन्तरिती)

3. सोसायटी के सदस्य (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि विलेख नं० 1055/72/बम्बई उप-रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा दिनांक 7-5-77 को रजिस्टर्ड किया गया है।

एफ० जे० फर्नांडीज,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1 बम्बई

तारीख : 6-1-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्सी०/भोपाल/77-78/911—
अतः मुझे, रा० कु० बाली,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० कृषि भूमि है, जो मालखेड़ी ग्राम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 4-5-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों को यथा :—

1. श्री ऋषभ कुमार जैन पुत्र श्री कन्छेदी लाल जैन निवासी सागर। (अन्तरक)

2. श्रीमती उर्मिला देवी पत्नि डा० श्याम बिहारी तिवारी निवासी बीना इटावा, बीना। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि खसरा नं० 31 क्षेत्रफल 7.662 हेक्टेयर स्थित ग्राम मालखेड़ी (पतवारी हल्का नं० 31), तह० खुरई, जिला-सागर।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 2-1-78।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एकजी०/भोपाल/77-78/912—
अतः, मुझे, रा० कु० बाली,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,
और जिसकी सं० कृषि भूमि है, जो मालखेडीग्राम मे स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय खुरई में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 4-5-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार
मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ऋषभ कुमार जैन पुत्र श्री कनछेदी लाल जैन निवासी, सागर। (अन्तरक)

2. (i) श्री चक्रपानी (ii) श्री राम मूर्ति, (iii) श्री कृष्णमूर्ति सभी पुत्र श्री डा० श्याम बिहारी तिवारी निवासी बीना इटावा, बीना। (अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि खसरा नं० 31 न० 34 क्षेत्रफल 7.663 हेक्टेयर स्थित ग्राम मालखेड़ी (पतवारी हल्का नं० 31), तह० खुरई जिला-सागर।

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, भोपाल

तारीख : 2-1-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/77-78/913—अतः, मुझे, रा० कु० वाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, जो मुड़वाड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, मुड़वाड़ा में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-5-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) मुल्ला सैफुद्दीन पुत्र श्री मुल्ला ताहिर अली (2) श्री फिदा हुसैन (3) श्री फकरूद्दीन (4) श्री जुब्बर हुसैन (5) श्री नासुक हुसैन पुत्र श्री हाजी युसुफ अली सभी निवासी भीम गंज मंडी, कोटा। (अन्तरक)

2. (1) श्री जयराम दास पुत्र श्री जादव दास (2) श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जोधामल (3) श्री हरीश कुमार (4) श्री अनिल कुमार पुत्र श्री जोधामल सभी निवासी राबर्ट लाइन कटनी कैम्प, तह० मुड़वाड़ा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 159 व 169 स्थित स्टेशन रोड, सुभाष वार्ड, मुड़वाड़ा जिला जबलपुर।

रा० कु० वाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 2-1-1978
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी/भोपाल/77-78/914—अतः, मुझे रा० कु० बाली आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके, पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० मकान है, जो भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-5-77 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. (1) श्री के० एफ० रुस्तम जी

(2) श्रीमती [illegible] के० रुस्तम जी पत्नि श्री के० एफ० रुस्तम जी।

(3) श्रीमती के० जे० वाछवेरा पुत्र श्री के० एफ० रुस्तम जी।

(4) मास्टर साइरस रुस्तम जी पुत्र श्री के० एफ० रुस्तम जी। सभी निवासी बी०-2/2 सफदरगंज इन्कलेव, नई-दिल्ली (अन्तरक)।

2. (1) कुमारी सुमनमाला बोटल पुत्री श्री के० एन० बोटल

(2) श्रीमती अश्लीशा शिवोपुरी पत्नी श्री अरुण शिमोपुरी दोनों निवासी ई० 1/182 अरेरा कालोनी, भोपाल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान जिसमें पांच कमरे भूतल पर तथा दो कमरे प्रथम तल पर, स्थित भोपाल।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 2-1-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल 77-78/915—अतः, मुझे रा० कु० बाली आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, जो उज्जैन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-5-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1 के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गुलाबचन्द्र पुत्र श्री बापूलाल महाजन निवासी 152, दशहरा मैदान, माधव नगर, उज्जैन।

(अन्तरक)

2. श्री साबिर हुसैन पुत्र श्री हाजी अब्दुल अलीभाई ठेकेदार, निवासी छत्री चौक उज्जैन। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा या।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दोमंजिला मकान ब्लाक नं० 69 स्थित इन्दौर गेट के पास, उज्जैन।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 2-1-1978।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्सी०/भोपाल/77-78/246—अतः मेरे रा० कु० बाली०

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है,

और जिसकी सं० भूमि व मकान है, जो पिपरिया में स्थित है (और उससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, पिपरिया में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 24-5-77।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री वलभ पुत्र श्री मोतीलाल सोदानी निवासी पिपरिया।

(अन्तरक)

2. श्री व्रजमोहन अग्रवाल पुत्र श्री मोतीलाल अग्रवाल निवासी सरदार पटैल वार्ड, पिपरिया।

(अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध म कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

आधा भाग प्लाट एरिया 4080 वर्गफुट आधा भाग मकान नं० 346 खसरा नं० 4/1 खाली प्लाट साथ में कम्पाउन्ड की दीवार स्थित नहरू वार्ड, पिपरिया।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 2-1-78।

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्सी०/भोपाल 77-78/917—

अतः, मुझे रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि व मकान है, जो पिपरिया में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पिपरिया में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 24-5-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुविधा और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बल्लभ पुत्र श्री मोतीलाल सोठानी निवासी पिपरिया। (अन्तरक)

1. श्री अवनीश पुत्र श्री अजमोहन अग्रवाल निवासी सरदार पटेल वार्ड, पिपरिया (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आधा भाग मकान नं० 396 खसरा नं० 4/1, आधा भाग प्लाट एरिया 1080 वर्ग फुट एक आफिस रूम व कम्पाउन्ड वाल स्थित नेहरू वार्ड, पिपरिया।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 2-1-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/77-78/918—अतः, मुझे रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि व गौडाउन है, जो बालाघाट में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय बालाघाट में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 4-5-77।

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री द्वारकाप्रसाद (2) श्री दामोदरदास व (3) श्री राम नारायण पुत्र श्री घनश्यामदास अग्राटी सभी निवासी बालाघाट। (अन्तरक)

2. (1) श्री शोभाराम पुत्र श्री बलीराम चन्द्रावर (2) श्री दलतराम पुत्र श्री पूरन साव साकरे दोनों निवासी वार्ड नं० 11, बालाघाट। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

परिवर्तित भूमि स्थित वार्ड नं० 10, पी० ऐ० नं० 13/2, खसरा नं० 337/3, 337/1 साथ में गोडउन व पक्का कुआं स्थित बालाघाट।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज भोपाल

तारीख : 2-1-78।
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बेंगलूर

बेंगलूर, दिनांक 26 दिसम्बर 1977

निर्देश सं० सी० आर० एम० 62/9340/77-78/एक्यू/बी—अन', मुझे जे० एस० राव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 4 है तथा जो बसप्पा क्रास रोड, शांतीनगर, बेंगलूर-27 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयनगर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 14-4-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अब, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री एम० आर० सिद्दलिंगराजेअरस (एम० आर० महेश) पुत्र श्री एम० एल० राजेअरस "साचप्पाजी कृपा" लक्ष्मीपुरम, मैसूर-4 (अन्तरक)

2 श्री बी० सी० बैरप्पा पुत्र श्री स्व० बी० बैरप्पा क्लाथ मरचेंट, चिकपेट, बेंगलूर सिटी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे;

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 98/7278 ता० 14-4-77)

सारा संपत्ती का जो० सं० 4, बसप्पा क्रासरोड, शांति नगर, बेंगलूर।

बांध

पू स्व० बी० बैरप्पा

प. प्यासेज

उ: 30 रोड, बसप्पा क्रास

द: रु० 7, सरवे नं० 30/2

जे० एस० राव
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बेंगलूर

तारीख : 26-12-77
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, सोनीपत रोड

रोहतक, दिनांक 3 जनवरी 1978

निर्देश सं० सी० एच० डी०/25/7 -78—अतः मुझे रवीन्द्र कुमार पठानिया सहायक आयकर आयुक्त

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 64, सैक्टर 2-ए, है तथा जो चंडीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चंडीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख मई, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:-

1. (1) श्रीमती प्रेम प्रकाश कौर

(2) श्री गुलराज सिंह ग्रेवाल 7, गुरदेव नगर, लुधियाना (अन्तरक)

2. श्री जगजीत सिंह गिल कोठी नं० 30, सैक्टर नं० 2-ए चंडीगढ़, (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रिहायशी मकान (जिसमें गैरेज तथा नौकर का कमरा भी है) नं० 64, सैक्टर 2-ए चंडीगढ़ और जोकि फरीहोलड प्लाट पर बना है और जिसका रकबा 2000 वर्गगज है।

(सम्पति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता कार्यालय चंडीगढ़ के कार्यालय में क्रमांक 186, मास मई, 1977 में दर्ज है)।

रवीन्द्र कुमार पठानिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 3-1-1978।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, सोनीपत रोड, रोहतक

रोहतक, दिनांक 29 दिसम्बर 1977

निर्देश सं० सी० एच० डी०/46/77-78—अतः मुझे, रवीन्द्र कुमार पठानिया
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 2245, सैक्टर 21-सी, है तथा जो चंडीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चंडीगढ़ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जुलाई 1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री भान सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह मकान नं० 2245, सैक्टर 21-सी, चंडीगढ़। (अन्तरक)

2. श्रीमती सत्या वत्ती, पत्नी स्वर्गीय डा० गुरशरन दास मकान नं० 2245, सैक्टर 21-सी, चंडीगढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला रिहायशी मकान नं० 2245, सैक्टर 21-सी, चंडीगढ़ में स्थित तथा जिसका रकबा 565·5 वर्गगज है।

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता कार्यालय चंडीगढ़ में रजिस्ट्री क्रमांक 483, मारा जुलाई, 1977 पर अंकित है)।

रवीन्द्र कुमार पठानिया,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 29-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 2 जनवरी 1977

स० आर० ए० सी० न० 173/7 -78—यत., मुझे, के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)

(जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 18/442 है, जो प्रोदटूर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, प्रोदटूर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-5-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और (अन्तरिती) (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती बनडारु वेनकटसुब्मा पती सुबरामनय्यम प्रोदटूर कडपा (अन्तरक)

2. श्री अमबती सुब्रामनय्यम पिता ओबाय्या डो० बी० एस प्याकग्र प्रोदटूर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

घर न० 18/442 मेनबजार प्रोदटूर कडपा-जिला दस्तावेज न० 1508/77 रजिस्ट्री की गई है रजिस्ट्री कार्यालय प्रोदटूर मे।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक . 2 जनवरी 1978
मोहर .

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 5 जनवरी 1978

निर्देश सं० आर० ए० सी० 174/77-78— यतः मुझे के० एस० वेंकट रामन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मलगी नं० 50 आबाद शबर सेक्टर है, जो 5-8-512 धीरागली लेन हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन में 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री एम पदमाराय पिता पानडुरनगचारी घर नं० 22-4-499 कोटला आलीजा एतवार चौक, हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री कनटं नटी सत्यानारायन राजू पिता बुजनणा राजु घर नं० 8-2-438/1 बनजारा होटस हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

उस जगाका मलगी ने 50 बीस्तन 220 वर्ग फीट पुरे फरनीचर वगैरा के सात जमीन की सता पर है उस को "आबीद शापीनगा सेनटर" कहा जाता है वे 5-8-512 ता० 5-8-5 17/A धीरागली लेन हैद्राबाद में रजीस्ट्री की गई है दस्तावेज नं० 1211/77 रजीस्ट्रीर आफोस कार्यालय हैद्राबाद में।

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज हैदराबाद

तारीख 5-1-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 5 जनवरी 1978

निर्देश सं० ए० पी० 72/बी० टी०/77-78—अतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो सपांवाली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मई 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों. अर्थात् :—

1. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री किशोर चन्द पुत्र श्री खेम चन्द गली नं० 7, अबोहर तहसील फाजिल्का। (अन्तरक)

2. श्री बयान सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह पुत्र चोखा सिंह, वासी सपांवाली तहसील फाजिल्का। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पति मे रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति मे हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

123 कनाल 16 मरले जमीन गांव सपां वाली में जैसा कि रजिस्ट्री नं० 354 मई 1977 सब-रजिस्ट्रार अबोहर में लिखा है।

पी० एन० मलिक,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

दिनांक : 5-1-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 5 जनवरी 1978

निर्देश सं० ए० पी० 73/भटिंडा/77-78—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन मई 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री संता सिंह पुत्र श्री मुरक सिंह वासी सुखेरा बसती अबोहर । (अन्तरक)

2. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान सिंह मार्फत ज्ञान चन्द लछमन दास सरकुलर रोड अबोहर । (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग म सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पति में रुचि रखता है । (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

नानक सर फाजिल्का रोड अबोहर पर 20150 वर्ग फुट का एक पलाट जैसा कि रजिस्ट्री नं० 236 मई 1977 सब रजिस्ट्रार अबोहर में लिखा है ।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 5-1-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनाक 5 जनवरी 1978

निर्देश सं० ए० पी०/74/बी०टी०आई०/77-78—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो अबोहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अबोहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, अप्रैल 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री संता सिंह पुत्र श्री मुरक सिंह वासी सुखेरा बसती अबोहर। (अन्तरक)

2. श्री राकेश कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द मार्फत ज्ञान चन्द लछमन दास सरकुलर रोड, अबोहर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पति मे रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है।)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क म परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

नानक सर फाजिल्का रोड अबोहर पर 21692 वर्ग फुट का एक पलाट जैसा कि रजिस्ट्री नं० 214, अप्रैल, 1977 सब-रजिस्ट्रार अबोहर में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 5-1 78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 5 जनवरी 1978

निर्देश सं० ए० पी० 75/बी० टी०आई/77-78—यतः मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कोट कपूरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक अप्रैल 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या जो किया जाना चाहिए था, छिपाने म सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री अजैब सिंह पुत्र श्री वजीर सिंह कलेर हस्पताल रोड कोट कपूरा (अन्तरक)

2. श्रीमती दर्शना देवी पत्नी ओम प्रकाश दाना मंडी कोट कपूरा (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है)।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुची रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

250 गज सम्पत्ति में 1/6 हिस्सा जो कोट कपूरा में है जैसा कि रजिस्ट्री नं० 92 अप्रैल 1977 सब रजिस्ट्रार फरीदकोट में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 5-1-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 5 जनवरी 1978

निर्देश सं० ए० पी० 76/बी० टी० आई०/77-78—यतः, मुझे, पी० एन० मलिक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कोट कपूरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख, अप्रैल 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री साधु सिंह पुत्र श्री बजीर सिंह कलेर (हस्पताल रोड कोट कपूरा (अन्तरक)

2. श्री कमल जींदल पुत्र श्री ओम प्रकाश दाना मंडी कोट कपूरा (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूची रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

200 गज सम्पत्ति जो कोट कपूरा में स्थित है, में 1/6 हिस्सा जैसा कि रजिस्ट्री नं० 91 अप्रैल 1977 सब रजिस्ट्रार फरीदकोट में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भटिन्डा

तारीख : 5-1-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भटिंडा

भटिंडा, दिनांक 5 जनवरी 1978

निर्देश सं० ए० पी० 77/बी०टी०आई/77-78—यतः मुझे, पी० एन० मलिक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में लिखा है तथा जो कोट कपूरा मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय फरीदकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अप्रैल 1977।
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत मे वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री आत्मा सिंह पुत्र श्री वजीर सिंह कलेर हस्पताल रोड कोट कपूरा (अन्तरक)

2. श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री देस राज दाना मंडी कोट कपूरा (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में लिखा है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पति मे रुची रखता है। (वह व्यक्ति, उनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

250 गज सम्पत्ति मे 1/6 हिस्सा जो कोट कपूरा में है जैसा कि रजिस्ट्री नं० 90 अप्रैल 1977 सब रजिस्ट्रार फरीदकोट में लिखा है।

पी० एन० मलिक
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भटिंडा

तारीख : 5-1-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जालन्धर

जालन्धर, दिनांक 28 दिसम्बर 1977

निर्देश सं० ए० पी०-1740—यतः, मुझे, बी० एस० दहिया, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची म है तथा प्लाट नं० 170 न्यू जवाहर नगर, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख मई 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मै० रैडले सपोर्टस द्वारा विपन महाजन पुत्र श्री गिरधारी लाल गुप्ता और जी०ए० श्रीमति सुदर्शना कुमारी पत्नी श्री कस्तूरी लाल महाजन और श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी श्री तिलक राज महाजन, निवासी सूरज कुंड रोड, मेरठ वा मिल गुप्ता पुत्र श्री गिरधारी लाल गुप्ता वा गिरधारी लाल गुप्ता 130 आर्दश नगर जालन्धर मालक व पार्टनर रैडले सपेर्टस, बस्ती नौ, जालन्धर। (अन्तरक)

2. (1) श्री अवनाश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री दौलत राम ईएफ 506, कृष्ण नगर, जालन्धर

(2) श्रीमति शुष्मा भल्ला पत्नि श्री बलदेव भल्ला, 52-न्यू जवाहर नगर, जालन्धर (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पति में रुची रखता है। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति मे हितवद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जैसा कि विलेख नं० 1046 मई-77 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, जालन्धर

तारीख 28-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-16, दिनांक 15 दिसम्बर 1977

निदेश सं० एल० सी० 151/77-78—यतः मुझे, सी० पी० ए० वासुदेवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो ईस्ट चालकुडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चालकुडी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 23-4-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री ए० षण्मुकासुन्दरम मैसर्स अप्पामलाई बस ट्रांसपोर्ट हेतु) (अन्तरक)

2. श्री इट्टीरा (मैसर्स कामीचाई मूवी इन्टरप्राइसेज हेतु) (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

$64\frac{47}{1000}$ Cents of land with buildings in Sy. No. 201/2, 4 of East Chalakudy Village.

सी० पी० ए० वासुदेवन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

दिनांक : 15-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-16, दिनाक 15 दिसम्बर 1977

निर्देश सं० एल० सी० 152/77-78—यतः मुझे सी० पी० ए० वासुदेवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो ईस्ट चालकुडी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय चालकुडी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 23-4-1977 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री षण्मुकसुन्दरम
(For M/s Anamalai Bus Transport Co. Pvt. Ltd.)
(अन्तरक)

2. श्री इट्टीरा
(For M/s Kanichai Movie Enterprises)
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

$39\frac{195}{1000}$ Cents of land with buildings in Sy. No. 203/2 of East Chalakudy Village.

सी० पी० ए० वासुदेवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 15-12-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-16, दिनांक 15 दिसम्बर 1977

निदेश सं० एल० सी० 153/77-78—यतः मुझे सी० पी० ए० वासुदेवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो तिरूर तालुक में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तिरूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-4-1977 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रवीन्द्रन (अन्तरक)

2. (1) कुन्ई मुहम्मद हाजी,
(2) सैयद अलवी
(3) परीकुट्टी
(4) अबूबेकर कुट्टी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्समयी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

9½ Cents of land with buildings in R. S. No. 190-6 of Trikandiyoor Amsom desom in Malapuram District.

सी० पी० ए० वासुदेवन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

दिनांक : 15-12-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणांकुलम

कोचीन-16, दिनांक 15 दिसम्बर 1977

निदेश सं० एल० सी० 154/77-78—यतः मुझे, सी० पी० ए० वासुदेवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो मुट्टुत्तराविलेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 25-4-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने म सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सत्यभाम अम्मा (अन्तरक)

2. डा० एम० ए० अब्दुल जब्बार (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

13 Cents 918 sq. links of land with a building T. C. 40/13(2) in Muttathara village in Trivandrum District

सी० पी० ए० वासुदेवन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, एरणांकुलम

दिनांक : 15-12-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-16, दिनांक 15 दिसम्बर 1977

निदेश सं० एल० सी० 155/77-78—यतः मुझे सी० पी० ए० वासुदेवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो वटक्कानचेरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ट्रिच्चूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) अधीन 15-4-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. (1) चन्द्रन
   (2) राजन
   (3) कृष्णन

(अन्तरक)

2. (1) बेबी
   (2) एलसी
   (3) मेरी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

Estate as per schedule attached to document No. 1306/77 dated 15-4-1977.

सी० पी० ए० वासुदेवन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 15-12-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-16, दिनांक 15 दिसम्बर 1977

निदेश सं० एल० सी० 156/77-78—यतः मुझे सी० पी० ए० वासुदेवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी ससं० अनुसूची के अनुसार है, जो वटक्कानचेरी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ट्रिच्चर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 22-4-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डा० पी० मोहनन

(अन्तरक)

2. (1) बेबी
(2) एलसी
(3) मेरी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

Estate as per schedute attached to document No. ; 1395/77 dated 22-4-1977

सी० पी० ए० वासुदेवन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 15-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-16, दिनांक 16 दिसम्बर 1977

निदेश सं० एल० सी० 157/77-78—यतः मुझे सी० पी० ए० वासुदेवन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो टरबार हाल रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एरणाकुलम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 18-4-1977 को

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती पारवती अम्माल

(अन्तरक)

2. श्री पी० के० वरक्की

(अन्तरिती)

3. (1) श्री के० आर० षेणाई
(2) श्री के० सी० जोसफ
(3) श्री ई० टी० एम० वैद्यशाला
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

14½ Cents of land with buildings in Sy. No. 701/2 and 1442/1 of Ernakulam Village-*vide* schedule to Document No. 961/77 dated 18-4-1977.

सी० पी० ए० वासुदेवन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 16-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-16, दिनांक 16 दिसम्बर 1977

निदेश सं० एल० सी० 158/77-78—यतः मुझे सी० पी० ए० वासुदेवन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो चालकुटी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चालकुटी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 20-4-1977 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री अम्मकुट्टी

(अन्तरक)

2. (1) श्री आन्टो
(2) श्रीमती वलसा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

$37\frac{39}{1000}$ Cents of land with buildings in Sy. No. 441/8 in East Chalakudy Village.

सी० पी० ए० वासुदेवन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 16-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-16, दिनांक 16 दिसम्बर 1977

निदेश सं० एल० सी० 160/77-78—यतः मुझे सी० पी० ए० वासुदेवन

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो ट्रिच्चूर म्युनिसिपालिटी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ट्रिच्चूर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 28-4-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती माधवी अम्मा (अन्तरक)

2. के० जी० सुरेन्द्रा नाम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

71 Cents of land with buildings in Sy. No. 1950 in Trichur Municipality.

सी० पी० ए० वासुदेवन

सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 16-12-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 15 दिसम्बर, 1977

निर्देश सं० 528—यतः मुझे एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और
जिसकी संख्या नं० 118 है, जो नगरमपालेम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुन्टूर मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-4-1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थात् :—

(1) श्री शेक हुसेन,
(2) शेक हसन,
(3) दादावली,
(4) सलाउद्दीन,
(5) खरुन्नी,
(6) जयबुन्नीसा,
(7) फतीमाबी नगरपालेम, गुन्टूर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती 1. वरिपल्ली अन्नपूम्म,
2. मोदुकूरि वीरम्मा, गुन्टूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुन्टूर रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-4-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1544/77 में निगमित अनुसूची संपत्ती।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 15-12-77
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 15 दिसम्बर 1977

निर्देश सं० 529—यतः, मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 490 है, जो गुन्टूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुन्टूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 29-4-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. (1) श्री वै० राममोहन राव,
   (2) वै० नारायण राव,
   (3) वै० सूर्यप्रकासराव,
   (4) वै० सारदा,
   (5) वै० उमादेवी,
   (6) वै० निर्मला,
   (7) बि० लक्ष्मी सरस्वती,
   (8) वै० वेंकटेस्वर विवेकानन्दन,
   (9) बि० इनदरा, गुन्टुर

(अन्तरक)

(2) उडिपि लक्ष्मी देवी गुन्टूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

गुन्टूर रजिस्ट्री अधिकारी से पांक्षिक अंत 30-4-77 में दस्तावेज नं० 1834/74 में निगमित अनुसूची संपति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकीनाडा

दिनांक : 15 दिसम्बर 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 15 दिसम्बर 1977

सं० 530—यतः, मैसर्स, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 23-1-60 है, जो गुन्टूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुन्टूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 21-4-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (1) श्री वि० बाबूराव,
(2) वि० लक्ष्मी, गुन्टूर

(अन्तरक)

(2) श्री के० वेंकटेस्वर्लु, गुन्टूर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गुन्टूर रजिस्ट्री अधिकारी से पांक्षिक अंत 30-4-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1633/66 में निगमित अनुसूची ।

एन० के० नागराजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 15-12-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा दिनांक 15 दिसम्बर, 1977

सं० 531—यतः मुझे एस० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– से अधिक है

और जिसकी सं० 44-17-1 है, जो काकीनाडा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 22-4-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. (1) श्री शत्तार जानी, काकीनाडा (अन्तरक)

2 (1) श्री रेड्डी वेंकटा भाग्यलक्ष्मी,
(2) रेड्डी सुजाता,
(3) रेड्डी सूर्यनारायण,
(4) रेड्डी ओदि मूर्ती, काकिनाडा (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।
(वह व्यक्ति जिस के अधिभोग मे सम्पत्ति है)

(4) जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है।
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

काकिनाडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 30-4-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 1484/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एस० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 15-12-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा दिनांक 15 दिसम्बर 1977

सं० 532—यतः मुझे एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 226/2 है, जो पेरेरू में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमलापुरम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-4-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अम्मय कृष्णा मूर्ती पेरूरु ।

(अन्तरक)

(2) श्री मंता उमामहेस्वरराव, पेरूरु ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

अमलापुरम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-4-77 में पंजीकृत दस्तावेज न० 1273/77 में निर्गमित अनुसूची संपत्ति ।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 15-12-77.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनाक 15 दिसम्बर 1977

स० 533—यत: मुझे एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० 229/1&2, 226/3 है, जो पेरूरु मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमलापुरम मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-4-1977
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने की सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अमु कृष्णमूर्ति, पेरेरू ।
(अन्तरक)

(2) श्री मंता सुरेश कुमार, पेरूरु, ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

अमलापुरम रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अत 15-4-77 मे पजीकृत दस्तावेज नं० 1272/77 में निगमित अनुसूची सम्पत्ति ।

एन० के० नागराजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेज, काकीनाडा

तारीख : 15-12-77

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनांक 15 दिसम्बर 1977

सं० 534—यत. मुझे, एन० के० नागराजन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० 197/283 है, जो पेनुगोंडा मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पेनुगोंडा मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 13-4-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती सत्री मीनाकक्षम्मा, पेकेरू।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती एन० कृष्टणूवेणि, मारटेरू।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

पेनुगोंडा रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अत 15-4-77 में पंजीकृत दस्तावेज नं० 500/77 मे निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन,
सक्षय अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकीनाडा।

तारीख : 15-12-77.
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, काकीनाडा

काकीनाडा, दिनाक 15 दिसम्बर, 1977

स० 535—यत., मुझे, एन० के० नागराजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 79 तथा 81/2 है, जो प्रत्तल्लमेरका मे स्थित है (और इसमे उपावद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उन्डी मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1-4-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री के० अप्पलाराजू, श्रीरामापुरम (अन्तरक)

2. श्री जी० विश्वनाधराज, प्रत्तल्लमेरका (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध मे कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबधी व्यक्तियो पर सूचना की तामील मे 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

उन्डि रजिस्ट्री अधिकारी से पाक्षिक अंत 15-4-77 मे पंजीकृत दस्तावेज न्० 407/77 म निगमित अनुसूची सम्पत्ति।

एन० के० नागराजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, काकीनाडा

तारीख : 15-12-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०-III/12/अप्रैल-1 (15)/77-78—अतः, मुझे, जे० एस० गिल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सी०-153 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 6-4-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रकाश लाल वोहरा, सुपुत्र श्री निहाल चन्द वोहरा, निवासी 2313, नेताजी नगर, नई दिल्ली। (अन्तरक)
2. श्री वरुणा जे० मंथाणी, पत्नी श्री जय कुमार तथा श्री जय कुमार, सुपुत्र श्री हांट चन्द, निवासी एच-35, कैलाश कालोनी, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट जिसका क्षेत्रफल 312.5 वर्ग गज है और नं० 153, ब्लाक नं० 'सी' है, निवासी, कालोनी ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : प्लाट नं० सी-151
पश्चिम : रोड
उत्तर : सर्विस लेन
दक्षिण : रोड।

जे० एस० गिल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 7-1-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1978

निर्देश सं० 1/म० आर०-III/27/अप्रैल-II (28)/77-78—अतः मुझे जे० एस० गिल आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० डी-1/8 है तथा जो लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 30-4-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री हाकम सिंह, सुपुत्र श्री जामिअत सिंह, निवासी एयरक्राफ्ट ओवरहाउल डिवीजन, इन्डियन एयर लाईन्स, पालम, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्रीमती कंवल जीत कौर, पत्नी डा० हरबंस सिंह, निवासी डी-1/8, लाजपत नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप: —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक लीज-होल्ड जायदाद नं० डी-1/8, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज है, लाजपत नगर, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : मकान नं० डी-1/7
पश्चिम : मकान नं० डी-1/18
उत्तर : लेन।
दक्षिण : रोड।

जे० एस० गिल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली नई दिल्ली-1

तारीख : 7-1-1978
मोहर :

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & A.R.)
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 30th December, 1977

No. R-115/68-Ad. V.—On reaching the age of superannuation, Shri Ram Lal Sahni has relinquished charge of the Office of Superintendent, Central Bureau of Investigation Head Office, New Delhi on the forenoon of 1-12-1977.

He has now proceeded on 120 days L.P.R. with effect from 1-12-77 which was refused to him earlier.

The 2nd January 1978

No. P-30/65-Ad. V.—Consequent upon his appointment in the Shah Commission of Inquiry, the Services of Shri P. S. Mahadevan, Superintendent of Police, C.B.I., Jammu have been placed at the disposal of Shah Commission of Inquiry. He relinquished the charge of the Office of the Superintendent of Police, C.B.I., Jammu Branch with effect from the afternoon of 31-10-77.

No. A-19015/3/75-Ad. V.—Shri O. P. Maini, Section Officer, Central Bureau of Investigation, Head Office, relinquished charge of the Office of Section Officer, C.B.I. on the forenoon of 22-12-77.

His services were placed at the disposal of Shah Commission of Inquiry on his appointment as Under Secretary in the Commission, with effect from 22-12-77 (F.N.).

V. P. PANDEY, Administrative Officer (A)
C.B.I.

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 31st December 1977

No. O.II-1003/75-Estt.—The President is pleased to accept the resignation tendered by Dr. Radha Mohan Nanda, JMO. (GDO; Gd. II) Base Hospital I CRPF New Delhi with effect from the afternoon of 7th November, 1977.

No. O.II-1077/77-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Elias Ali Khan Mahamanzai as General Duty Officer, Grade-II (Dy. S.P./Coy. Comdr) in the CRPF in a temporary capacity with effect from 17-12-1977 (AN) until further orders.

A. K. BANDYOPADHYAY
Assistant Director (Adm.)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-24, the 29th December 1977

No. E-38013(3)/13/77-Pers.—On transfer from Jadugudda Shri G. S. Nurpuri assumed the charge of the post of Assistant Commandant CISF Unit IPCL Baroda with effect from the afternoon of 8th November 1977.

No. E-38013(3)/15/77-Pers.—On transfer to Hyderabad Shri A. S. Shekhawat relinquished the charge of the post of Assistant Commandant CISF Unit BIL Bhilai with effect from the afternoon of 3rd December, 1977.

No. E-38013(3)/15/77-Pers.—On transfer from Bhilai Shri A. S. Shekhawat assumed the charge of the post of Vice Principal CISF Trg. College, Hyderabad with effect from the afternoon of 12th December 1977 Vice Shri J. Gomes who relinquished the charge of the said post with effect of the same date.

No. E-38013(3)/17/77-Pers.—On transfer to Bhilai Shri S. P. Mulchandani relinquished the charge of the post of Assistant Commandant CISF Unit IPCL Baroda with effect from the afternoon of 16th November, 1977.

L. S. BISHT
Inspector General/CISF

MINISTRY OF FINANCE
(DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS)
BANK NOTE PRESS : DEWAS (MP)

Dewas, the 30th December 1977

F. No. BNP/C/23/77.—In continuation to the Notification number BNP/E/8/M-6, dated 27-9-1977, the *ad hoc* appointment of Shri M. L. Narayana as Deputy Control Officer, in the Bank Note Press, Dewas is extended for a further period of 3 months with effect from the fore-noon of 7-12-77 or till the post is filled on regular basis whichever is earlier.

P. S. SHIVARAM
General Manager

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
COMMERCE WORKS & MISC.

New Delhi, the 30th December 1977

OFFICE ORDER

O.O. No. ADMN.I/158.—The A.G.C.W. & M. New Delhi has been pleased to promote Shri Bal Ram Section Officer (Audit & Accounts) as a Temporary Accounts Officer on provisional basis with effect from the forenoon of 23rd December 1977.

S. S. MANN
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR
NORTHERN RAILWAY

New Delhi, the 28th December 1977

No. Admn./17-22/73.—The Chief Auditor, Northern Railway is pleased to appoint S/Sh. Ram Lal Maini and Harcharan Singh Bhatia, officiating Audit Officers in a substantive capacity in the Audit Officers grade w.e.f. 1-8-77 and 1-11-77 respectively.

Km. BHARTI PRASAD
Dy. Chief Auditor/Admn.

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT, DEFENCE SERVICES

New Delhi, the 29th December, 1977

No. 4609/A. Admn/130/77—The Director of Audit, Defence Services, is pleased to appoint the under-mentioned substantive members of the S.A.S. to officiate as Audit Officer, until further orders, in the offices and from the dates noted against each :—

Sr. No.	Name	Office in which appointed	Date
	S/Shri		
1.	N. Venkataraman	Audit Officer, Defence Services, Kirkee	12-9-77
2.	R. L. Jatav	Sr. Dy. Chief Auditor, (OF) Jabalpur	14-10-77
3.	K. Raghunathan	Sr. Dy. Director of Audit, Defence Services, S.C. Poona.	14-11-77

K. B. DAS BHOWMIK
Sr. Dy. Director,

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi-110022, the 29th December 1977

No. 71019(9)/77-AN-II– On the results of the Combined Competitive Examination held by the Union Public Service Commission in 1976, the President is pleased to appoint the following individuals as probationers in the Indian Defence Accounts Service with effect from the dates shown against them.

Sl. No.	Name	Date of appointment
1.	Shri G.K. Menon	7-11-77 (FN)
2.	Smt. Priti Patnaik	18-7-77 (FN)
3.	Shri Subas Banerjee	14-7-77 (AN)
4.	Shri Ashok Kumar Chopra	12-7-77 (FN)
5.	Shri Rajendra Prasad Jain	8-11-77 (FN)
6.	Shri Amit Cowshish	14-11-77 (AN)
7.	Shri Pradeep K. Das	13-12-77 (FN)
8.	Shri Kanwal Manjit Angurala	7-11-77 (FN)

V. S. BHIR

Additional Controller General of Defence Accounts

OFFICE OF THE CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS (OTHER RANKS)—SOUTH

Madras-600018, the 24th September 1977

No. AN/II/8316769.—Order of termination of service issued under the proviso to Sub-Rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Services) Rules, 1965.

In pursuance of the proviso to Sub-Rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Services) Rules, 1965, I hereby terminate forthwith the services of Srimathi, B. A. VASANTHA KUMARI, Temporary Auditor (A/c No. 8316769), and direct that she shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of her Pay plus allowances for the period of notice at the same rates at which she was drawing them immediately before the termination of her service, or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of the month.

R. VENKATARAMAN

Controller of Defence Accounts (ORs) South

MINISTRY OF DEFENCE

DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

Calcutta, the 27th December 1977

No. 84/77/G.—The President is pleased to appoint the under-mentioned officers as Asstt. Manager (Prob) (on prob) with effect from the dates shown against them :—

Shri Brij Vallabh Sharma	10th Apl. 1973
Dr. N. V. Muralcedharan	21st March, 1973
Dr. Pratul Nath Chakrabarti	1st March, 1973
Shri Mijan Kumar Ghose	29th March, 1973
Shri Ashoke Biswas	10th Apl., 1973
Shri Abhik Kumar Mukhopadhayay	29th March, 1973
Shri Krishnaiyer Viswanathan	29th March, 1973
Shri Ram Prakash Sharma	19th Feb., 1973
Shri Muni Lal	22nd March, 1973
Shri Benedict Minj	20th Feb , 1973
Shri Balachandra Shivaraya Shiroor	4th Apl., 1973
Dr. Vishwambhar Nath Singh	30th Oct., 1973
Dr. Deb Ranjan Misra	7th Feb., 1974
Shri Ramaswamy Krishnan	28th Sept., 1973
Shri Subramanian Ramamoorthy	12th Oct., 1973
Shri Basdeo Prakash Hajela (since released).	30th Nov., 1973
Shri Harjit Singh	6th July, 1974
Dr. Pranab Kumar Sanyal	10th June, 1974
Dr. Om Prakash Yadava	7th May, 1974
Dr. Sanjay Kumar Ghosh	1st July, 1974
Dr. Swadesh Ranjan Chakraborty	29th Apl., 1975
Shri Subhash Chandra Maji	7th Jan., 1975
Shri Binod Beh ri Pharas	10th March, 1975
Shri Bharat Chandra Mondal	21st Nov., 1974
Dr. Qazi Ghazanfar Ali	11th Apl., 1975
Shri Srinivasan Narasimhan	10th July, 1975
Dr. Ram Sanehi	10th Apl., 1975
Shri Arun Kumar Kaisy	28th Apl., 1975
Dr. Dig Vijay Lal Rewal	3rd Apl., 1975
Dr. Ajoy Kumar Bose	10th Apl., 1975
Shri Dipak Kumar Sarkar	1st Oct., 1975

No. 85/77/G.—The President is pleased to appoint the under-mentioned officers as Asstt. Manager (prob) (on prob) with effect from the dates shown against them :—

Shri Gurcharan Singh Bhullar (since released)	3rd July, 1975
Shri K. M. Ravi Kumaran Nair	22nd Jan., 1973.
Shri Ajeet M. Naik	7th Feb., 1973
Shri G. Veerabhadrappa Sivakumar	18th Dec., 1972
Shri Malakishvariathu Sreedhara Jayaprakash	7th Feb., 1973
Shri Ashok Kumar Grover	6th Feb., 1973
Shri Sharat Chandra Gupta	9th Feb., 1973
Shri Jayant Kumar Agrawal	25th May, 1973
Shri Umesh Madhav Prabhudesai	11th Jan., 1973
Shri Ramawatar Agrawal	24th Jan., 1973
Shri Manindra Nath Putatunda	29th Dec., 1972
Shri Subhash Chander	30th May, 1973
Shri Ajoy Shanker	1st Feb., 1973
Shri S. Chandrasekhar	21st March, 1973
Shri Ashok Kumar Aggarwal	30th Dec., 1972
Shri Jaytilak Biswas	7th Feb., 1974
Shri Krishnamohan Addy (since expired)	7th Feb., 1974
Shri Anil Kumar Singh	7th March, 1974
Shri T.K. Vijayaragavan	19th March, 1974
Shri Anant Shankar Pundle	7th Feb., 1974
Shri Abhiman Prasad Tripathi	7th Feb., 1974
Shri Subhash Chandra Talukdar	19th March, 1974
Shri Vijay Kumar Jain	4th June, 1974
Shri Abhay Nandan Prasad	6th May, 1974
Shri Ravinder Mohan Gupta	7th Feb., 1974
Shri Hemant Shanker Pundle	7th Feb., 1974
Shri Manglesh Kumar Surana	27th June, 1974
Shri Ashok Kumar	7th March, 1974
Shri Hardip Singh (since released)	1st Aug., 1974
Shri P. Prakasha Rao	7th Feb., 1974
Shri Pratap Chand Arora	25th March, 1974
Shri Deshraj Nagpal	7th Feb., 1974
Shri K. Chandra Mohan Rao	7th Feb., 1974
Shri Sukumar Kolay	8th July, 1974
Shri Umakant Kulshrestha	7th Feb., 1974

Shri Sebastian Joseph	7th May, 1974
Shri Jai Prakash Sharma	7th June, 1974
Shri Narendra Kumar Srivastava	4th March, 1974
Shri Ramesh Chander Arora	2nd Feb, 1975
Shri S. Rajagopalan	7th Feb., 1974
Shri Lachhman Kumar	29th March, 1974
Shri R. Padmanabhan Nair	7th Feb, 1974
Shri Mehar Singh	7th Feb, 1974
Shri Pulak Kanti Bhowmik	1st June, 1974
Shri Nanda Kumar	1st March, 1974
Shri Bhoop Singh	27th Apl., 1974
Shri Mahesh Prasad	7th Feb., 1974
Shri Arippa Kungatty Surendran	2nd Dec., 1974
Shri Krishna Kumar Garg	13th Jan., 1975
Shri Dinesh Mohan Gupta	28th Nov., 1974
Shri Samindra Nath Dutta	17th Feb., 1975
Shri Sushil Thakur	31st March, 1975
Shri Krishan Gopal Gupta	18th Nov., 1974
Shri Raman Gumber	7th Feb., 1975
Shri Prakash Narayan	10th Feb., 1975
Shri Sita Ram Agrawal	3rd Jan, 1975
Shri Krishna Swaroop Gupta	17th Feb., 1975
Shri Baboo Ram Monga	23rd Apl., 1975
Shri Amil Kumar Shukla	2nd Dec, 1974
Shri Rajinder Kumar	17th Jan, 1975
Shri Rakesh Babu	29th Apl., 1975
Shri Shahab Ahmad	17th Feb., 1975
Shri Ashok Kumar Malik (since released)	28th Nov., 1976
Shri Chandra Prakash Gupta	17th Feb., 1977
Shri Satish Chander Malhotra	25th Nov., 1974

The 29th December 1977

No. 86/77/G.—The President is pleased to appoint the undermentioned Officer as Offg. D.M. with effect from the date shown against him, until further orders :—

Shri K. K. Bhattacharjee, Offg. A.M., 19th Sept. 1977.

No. 87/77/G.—The President is pleased to appoint the undermentioned officer as Offg. Manager w.e.f. the date shown against him, until further orders :—

Shri Sukrishan Das, Pt. Dy. Manager, 30th June, 1977.

M. N. SHUKLA

Asstt. Director General, Ordnance Factories.

INDIAN ORDNANCE AND ORDNANCE EQUIPMENT FACTORIES

Calcutta, the 29th December 1977

No. 2/77/A/M—The President is pleased to appoint the following officers with effect from the date indicated against each until further orders

Sl. No.	Name & Post	Posted at	Date
1.	Dr. Subhas Chandra Misra, Assistant Medical Officer	Ordnance Fy. Dum Dum	5-10-77
2.	Dr. Jogendra Nath Prusty, Assistant Medical Officer	Metal & Steel Factory, Ishapore.	10-10-77
3.	Dr. P. V. Rama Subba Reddy, Assistant Medical Officer	Vehicle Fy. Jabalpur	10-10-77
4.	Dr. V. K. Gaur, Assistant Medical Officer	Ordnance Fy. Chanda	24-9-77
5.	Dr. K. P. Som Kumar, Assistant Medical Officer	Ordnance Fy. Ambarnath	3-10-77
6.	Dr. Vinoy Kumar Chanda, Assistant Medical Officer	Clothing Factory, Shahjahanpur.	10-10-77
7.	Dr. Keshav Singh Sagar, Assistant Medical Officer	Gun & Shell Factory, Cossipore	5-9-77
8.	Dr. Prati Pal, Assistant Medical Officer	Ordnance Equipment Factory, Kanpur	29-9-77
9	Dr. (Ku) Savitri Dharia, Assistant Medical Officer	Ordnance Factory, Bhandara	1-9-77
10.	Dr. Srikrushna Mahapatra, Assistant Medical Officer	Ordnance Factory, Bhandara.	30-8-77
11	Dr. (Smt.) Geeta Mohanty, Assistant Medical Officer.	Gun & Shell Factory, Cossipore.	29-9-77
12.	Dr. P. V. Prakasha Rao, Assistant Medical Officer	Gun Carriage Factory, Jabalpur.	3-10-77
13.	Dr. B. Nageswara Rao Subudhi, Assistant Medical Officer	Ammunition Factory, Kirkee.	27-9-77
14.	Dr. P.V. Chandran, Assistant Medical Officer	Ammunition Factory, Kirkee	5-9-77
15.	Dr.D. Sreenivasan, Assistant Medical Officer	Ordnance Factory, Varangaon.	14-9-77
16.	Dr. Sundaresh Kumar P, Assistant Medical Officer	Ordnance Factory, Khamaria.	7-10-77
17.	Dr. Prafulla Kumar Rath, Assistant Medical Officer	Ordnance Factory, Khamaria.	7-9-77
18	Dr. Arup Roy, Assistant Medical Officer	Gun & Shell Factory, Cossipore.	12-9-77
19	Dr. B. Rajendran, Assistant Medical Officer.	Ordnance Factory, Khamaria.	13-10-77
20.	Dr. Sachitrananda Mohanty, Assistant Medical Officer	Metal & Steel Factory, Ishapore.	17-8-77
21.	Dr. V.J. Jose, Assistant Medical Officer.	Cordite Factory, Aruvankadu.	6-9-77
22	Dr. Mohanta K. Langthasa, Assistant Medical Officer	Ordnance Factory, Katni.	19-9-77
23.	Dr. R.S. Krishnamurthy Assistant Medical Officer	Ammunition Factory, Kirkee.	10-10-77
24.	Dr. Hemendra Singh, Assistant Medical Officer.	Clothing Factory, Shahjahanpur.	10-10-77
25.	Dr. P. Krishnamurthy, Assistant Medical Officer	Ordnance Factory, Kanpur.	15-9-77
26.	Dr. A. Tyagi, Assistant Medical Officer	Ammunition Factory, Kirkee	5-9-77
27.	Dr. Balakrishna Panda, Assistant Medical Officer	Rifle Factory, Ishapore.	7-10-77
28.	Dr. N. V. Sridhara, Assistant Medical Officer	Ordnance Factory, Khamaria.	6-10-77

Sl. No.	Name & Post	Posted at	Date
29.	Dr. S.G. Vashista, Assistant Medical Officer.	Ordnance Factory, Ambajhari.	20-10-77
30.	Dr. Biswanath Saha, Assistant Medical Officer	Metal & Steel Factory, Ishapore.	15-9-77
31.	Dr. MRL Kumar, Assistant Medical Officer.	Clothing Factory, Avadi.	1-11-77
32.	Dr. V.M. Chandrasekharan, Assistant Medical Officer.	Vehicle Factory, Jabalpur.	7-11-77

Brig.
P. N. TRIKHA
Director of Health Services
for Director General
Ordnance Factories

DEPARTMENT OF EXPLOSIVES

Nagpur, the 23rd December 1977

No. E.11(7).—In this Department's Notification No. E.-11(7) dated the 11th July, 1969 :

Under Class 2—NITRATE MIXTURE

(i) in the entry "PERMAFLO—5" for the figures "1977" the figures "1978" shall the substituted.

(ii) Under Class 3—Division—1

in the entry "SOLIPRUF" for the figures "1977" the figures "1978" shall be substituted".

I. N. MURTY
Chief Controller of Explosives

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 3rd January 1978

No. A-1/1(882)/II.—The President is pleased to appoint Shri Surjit Lal, an officer of Grade III of the Indian Supply Service, Group 'A', on his reversion from deputation with Projects and Equipment Corporation of India Ltd., to officiate as Deputy Director of Supplies (Grade II of the Indian Supply Service Group 'A') in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi from the forenoon of the 1st December, 1977 and until further orders.

SURYA PRAKASH
Deputy Director (Administration)
for Director General of Supplies & Disposals

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi-1, the 28th December 1977

No. 4(74)/77-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Smt. Kailash Kumari Gupta as Programme Executive, All India Radio, Kurseong in a temporary capacity with effect from 1st December, 1977 and until further orders.

N. K. BHARDWAJ
Deputy Director of Administration
for Director General

New Delhi, the 31st December 1977

CORRIGENDUM

No. 10/72/77-SIII.—The name "S. SHANKARAN" appearing in the second line of Notification No. 10/72077-SIII dated 26-10-77 may be *read* as "S. SANKARAN"

V. KRISHNAMURTI
Deputy Development Officer
for Director General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
(PERSONNEL DIVISION)

Bombay-400085, the 31st December 1977

NOTICE

Ref. D/1375/FRD/Est. V/4834.—The following order which was sent by Registered A/D to Shri Jolly Anthony D'Costa, Tradesman 'A' of this Research Centre at his address on 23-11-1977 has been returned undelivered by the postal authorities with remarks dated 28-11-1977 as "left the place and hence returned to the sender". The order is therefore to be published in the Gazette.

"ORDER

In terms of para 1(a) of the offer of appointment No. PA/63(18)/76-R-II dated March 18/19, 1977 and Memorandum No. PA/D/1375/R-I dated July 20, 1977, the services of Shri Jolly Anthony D'Costa, Tradesman 'A', PREFRE on probation, are hereby terminated forthwith.

G. B. KULKARNI
Head, Personnel Division

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(HEAVY WATER PROJECTS)

Bombay-400 008, the 29th December 1977

No. 05045/77/6800.—Officer-on-Special Duty., Heavy Water Projects, appoints Shri Hashmat Vishindas Awatramani, a permanent Assistant and officiating Administrative Officer III of Heavy Water Project (Kota) who is now on foreign service with National Institute for Training in Industrial Engineering, Bombay as an Assistant Personnel Officer in a substantive capacity in Heavy Water Projects w.e.f. August 1, 1977.

Ref. HWPs/Estt/1/G-39/6801.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Yeshwant Purshottam Gharpure, a permanent Upper Division Clerk of Bhabha Atomic Research Centre and officiating Selection Grade Clerk of Heavy Water Projects (Central Office) to officiate as Assistant Personnel Officer in the same office for a further period from November 11, 1977 to November 24, 1977 *vice* Shri R. N. Ramchandani, Assistant Personnel Officer, granted extension of leave.

The 30th December 1977

No 05052/77/6838.—Officer on Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri D. P. Mathur, a permanent Clerk Grade I and officiating Section Officer (Accounts) of Western Railway presently on deputation to Heavy Water Project (Baroda) as Assitant Accounts Officer, to officiate as Accounts Officer in the same project in a temporary capacity, on an *ad hoc* basis, from November 21, 1977 to December 24, 1977 vice Shri R. B Kulkarni, Accounts Officer, granted leave.

T. C. SATHYAKEERTHY
Senior Administrative Officer

DEPARTMENT OF SPACE

ISRO SATELLITE CENTRE

Bangalore, the 17th December 1977

No. 020/3 (061)/77—Director, ISRO Satellite Centre is pleased to appoint the undermentioned persons to the posts mentioned against their names in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space in a temporary capacity with effect from the forenoon of the dates as indicated against each and until further orders :—

Sl.No.	Name	Designation	Date
1.	Shri R. Selva Kumar	Engineer SB	1-9-77
2.	Shri P. R. Ramraj	Engineer SB	30-9-77
3.	Shri Mohd. Ghouse	Engineer SB	10-10-77
4.	Shri A. Narayanaswamy	Engineer SB	14-11-77
5.	Shri Syed Tamizuddin	Engineer SB	12-12-77

S. K. BASHU
Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 24th December 1977

No. A.31013/3/76-EA.—The President has been pleased to appoint Shri K. Gopal, Senior Air Safety Officer, in a substantive capacity in the grade of Senior Aerodrome Officer in the Air Routes & Aerodromes Organisation of the Civil Aviation Department with effect from the 13th September, 1977.

V. V. JOHRI
Asstt. Director of Administration

FOREST RESEARCH INSTITUTE & COLLEGES, DEHRA DUN

Dehra Dun, the 27th December 1977

No. 16/279/77-Ests-I.—The President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun, is pleased to appoint Shri Methew George as Research Officer under the 5th Five Year Plan Scheme, Forest Soils Laboratories, Forest Soil-*cum*-Vegetation Survey, Coimbatore, under the Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun with effect from the forenoon of 9th December, 1977 until further orders.

The 28th December 1977

No. 16/264/77-Ests-I.—The President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun, is pleased to appoint Shri Himadri Ranjan Dhar, Forest Ranger of the Tripura Forest Department as Research Officer under the 5th Five Year Plan Scheme "Setting up Seed Bank and Seed Improvement and Tree Breeding Centres, Burnihat, under the Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun, with effect from the forenoon of 11th July, 1977 until further orders.

The 29th December 1977

No. 16/276/77-Ests-I.—The President, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun, is pleased to appoint Shri Dinesh Prasad Uniyal, Research Assistant Grade I as Research Officer under the 5th Five Year Plan Scheme "(i) Seed Bank and (ii) Seed Improvement and Tree Breeding Centres, Hyderabad" at its Regional Centre at Dehra Dun, under the Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun with effect from the forenoon of 27th October, 1977, until further orders.

The 31st December 1977

No. 16/275/77-Ests-I.—The President, Forest Research Institue and Colleges, Dehra Dun, is pleased to appoint Shri C. J. S. K. Emmanuel as Research Officer under the 5th Five Year Plan Scheme (i) Seed Bank and (ii) Seed Improvement and Tree Breeding Centre, Coimbatore under the Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun, with effect from the forenoon of 15th December, 1977, until further orders.

P. R. K. BHATNAGAR
Kul Sachiv
Van Anusandhan Sansthan
Evam Mahavidyalaya

OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE AND CUSTOMS

Bombay, the 29 December 1977

F. No. II/3E(a)2/77 Pt. I—The following selection grade of Inspectors have an promotion assumed charge as Officiating Superintendents of Central Excise Group B in the Bombay Central Excise Collectorate with effect from the dates shown against their names.

S.No.	Name	Date of assumption of Charge
1.	Shri S. K. Makhijani	20-4-76 (A.N.)
2.	Shri C. Y. Devasthali	1-5-76 (F.N.)
3.	Shri P.A. Chonkar	28-6-76
4.	Shri Guru Sharan Singh	28-6-76
5.	Shri J.O. Patel	21-6-76
6.	Shri S.S. Risbood	23-6-76
7.	Shri M. J. D'souza	24-6-76
8.	Shri V. K. Joshi	30-6-76
9.	Shri A. F. Gonsalves	23-6-76
10.	Shri J.T. Keshwani	26-6-76
11.	Shri A. K. Khopkar	26-6-76 (A.N.)
12.	Shri B.S. Pawar	22-6-77
13.	Shri V.D. Surti	24-6-76
14.	Shri L. R. Ahire	6-9-76
15.	Shri B.A. Kamble	8-9-76
16.	Shri D.T. More	7-9-76
17.	Shri S.V. Kamble	24-9-76
18.	Shri B.N. Kawle	4-10-76
19.	Shri P. G. Garude	6-10-76
20.	Shri H. J. Netto	7-2-77
21.	Shri B.D. Patel	9-2-77
22.	Shri S.B. Wanzare	8-2-77
23.	Shri B.D. Natu	7-2-77
24.	Shri R.K. Padki	8-2-77
25.	Shri G. V. Dharap	7-2-77
26.	Shri R.S. Panjwani	19-2-77
27.	Shri S.G. Nanday	1-3-77
28.	Shri B.N. Singh	25-3-77
29.	Shri A.B. Vaidya	5-4-77
30.	Shri R.M. Rajadhyax	4-6-77
31.	Shri R.N. Bhosala	8-7-77
32.	Shri K. L. Desai	19-7-77
33.	Shri N. K. Chavan	21-7-77

E. R. SRIKANTIA
Collector of Central Excise

Kanpur, the 26th December 1977

No. 127/77.—Consequent upon his promotion to the grade of Superintendent Central Excise, Group 'B' vide Collector, Central Excise, Kanpur/Allahabad Estt. Order No. I/A/354/77 dated 23-9-77 issued under endt. C. No. II-140-Estt/76/Pt./44626 dated 23-9-77 in the pay scale of Rs. 650—30—

740—35 —810 EB—35— 880—40— 1000—EB—40— 1200 1200 Shri J. P. Mushran, Inspector (S.G.) Central Excise assumed the charge of Superintendent Central Excise Group 'B' Ghaziabad-I Division in the forenoon of 24-9-77.

No. 128/77.—Shri Daman Singh, Office Superintendent Central Excise promoted to the grade of Administrative Officer, Central Excise Group 'B' vide Central Excise Collectorate, Allahabad/Kanpur Estt. Order No. 53/77 dated the 10th March, 1977 issued under endt. C. No. II(3)98-Estt/77/6839 dated the 11th March, 1977, took over the charge of Administrative Officer, Central Excise Group 'B' Kanpur-I division in the forenoon of 4-6-77 relieving Shri R. P. Nanda, Superintendent Central Excise, Kanpur-I of the additional charge.

K. PRAKASH ANAND
Collector

Patna, the 27th December 1977

C. No. II (7)1-ET/77—The following Superintendents Group "B" of Central Excise/Customs Collectorate, Patna have retired from service superannuation with effect from the dates and hours indicated against them :—

Sl. No.	Name	Date of Super-annuation
1.	Shri K. P. Choudhary	31-8-77 (A.N.)
2.	Shri B. N. Shrivastava	30-9-77 (A.N)
3.	Shri R. K. P. Sinha	31-10-77 (A.N)
4.	Shri J. N. Wahadar	30-11-77 (A.N.)
5.	Shri B. Nicholas	30-11-77 (A.N.)

The 3rd January 1978

C. No. II(7)1-ET/77/58.—Shri N. S. Mukherjee, officiating Assistant Collector of Central Excise & Customs Collectorate, Patna has retired from service on superannuation with effect from 31-8-77 (A.N.).

H. N. SAHU
Collector
Central Excise

CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS

OFFICE OF THE NARCOTICS COMMISSIONER OF INDIA

(NARCOTIC DEPARTMENT)

Gwalior-6, the 30th December 1977

S. No. 9.—On his transfer from Central Excise Collectorate, Allahabad, Shri H. S. Bedi, Superintendent of Central Excise Group 'B' took over charge as District Opium Officer, Bhawanimandi in the forenoon of 7-9-1977.

S. No. 10.—On his transfer from Chittorgarh I Division Shri D. B. Sharma, District Opium Officer, assumed charge as District Opium Officer, Badaun in the forenoon of 7-9-1977.

S. No. 11.—On his transfer from Bhawanimandi, Shri H. S. Bedi, District Opium Officer assumed charge as District Opium Officer Chittorgarh in the forenoon of 18-9-1977.

S. No 12.—On his transfer from Gwalior, Shri D. D. Sharma, Intelligence Officer, assumed charge as District Opium Officer, Aklera in the forenoon of 4-11-1977.

M. L. WADHAWAN
Narcotics Commissioner of India

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi, the 31st December 1977

No. A-19012/629/76-Adm. V.—Chairman, Central Water Commission hereby appoints Shri S. R. Sharma, Senior Professional Assistant (Publication) to officiate in the grade of Extra Assistant Director (Publication) in the Central Water Commission in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000— EB —40—1200 on a purely temporary and *ad-hoc* basis w.e.f 12-12-77 (F.N.) for a period of six months or till the post of Assistant Director (Publication) is filled on regular basis, whichever is earlier.

Shri S. R. Sharma, assumed charge of the post of Extra Assistan Director (Publication), in the Central Water Commission w.e.f. the above date and time.

J. K. SAHA
Under Secy.
Central Water Commission

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 28th December 1977

No. 77/EB/707—It is hereby notified for general information that the existing Secunderabad Division having broad gauge and metre gauge systems has been bifurcated into two Divisions, viz., Hyderabad (M.G). Division and Secunderabad (B.G.) Division with effect from 17th November, 1977. Both the Divisions will remain under the Control of South Central Railway. The territorial jurisdictional limits of the Divisions are as under :-

Headquarters (1)	Jurisdiction (2)
1. Hyderabad (M.G).	This will be a division under the charge of a Divisional Superintendent with territorial jurisdiction over the metre gauge system, i.e. Dronachellam (excluding) to Manmad (excluding), Parbhani—Parli Vaijnath, Mudhked—Adilabad and Janakampet-Bodhan branch lines. All the Welfare institutions, schools, colleges and hospitals in twin city area will be under Divisional Superintendent/Hyderabad (M.G.). Any communication pertaining to this M.G. system may be addressed to the Office of the Divisional Superintendent, Hyderabad (M.G.), Sarojinidevi Road, Secunderabad—500 025.
2. Secunderabad (B.G.)	The broad gauge system from Wadi (excluding) —Hyderabad-Secunderabad-Kazipet, Kazipet-Balharshah (excluding),

(1)	(2)
	Kazipet-Rayanapad (excluding), Dornakal-Karepalli-Singareni, Karepalli-Bhadrachellam Road and Vikarabad-Parli Vaijnath, will be under the control of the Divisional Superintendent, Secunderabad (B.G.). Any communication pertaining to this system should be addressed to the Office of the Divisional Superintendent, Secunderabad (B.G.), Sarojinidevi Road, Secunderabad—500 025.

B. MOHANTY

Secy. Railway Board & ex-officio Jt. Secy.

NORTHERN RAILWAY

HEADQUARTERS OFFICE

New Delhi, the 26th December 1977

No. 21.—Dr. K. Roy Vaid officiating Assistant Divisional Medical Officer Grade Rs. 700—1600 (Cl. I) of this Railway has retired from Railway service from the afternoon of 30th November, 1977.

G. H. KESWANI

General Manager

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

MAHARASHTRA

Bombay, the 29th December 1977

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. The Indentor's Syndicate (Private) Limited

No. 4938/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. The Indentor's Syndicate (Private) Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Technicans Ineffective Advertisng & Marketing Private Limited

No. 15149/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Technicans Ineffective Advertising & Marketing Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

V. Y. RANE

Asstt. Registrar of Companies

Maharashtra, Bombay

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
9, FOREST PARK,
BHUBANESWAR-9

Bhubasneswar-9, the 2nd January 1978

Ref. No. 62/77-78/(AR)/BBSR.—Whereas, I, A. N. MISRA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable poperty having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Ward No. 10 situated at Bhubaneswar

(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhubaneswar on 8-4-1977.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to belive that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) (1) Shrimati Ashalata Mishra
(2) Sri Nila Kantha Mishra.

(Transferor)

(2) Orissa Forest Corporation Ltd.,
Represented by Managing Director.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed building situated over N.A.C. Holding No. 1790, Ward No. 10, Bhubaneswar under the jurisdiction of Sub-Registrar, Bhubaneswar and registered by sale document No. 2381 dated 8-4-77.

A. N. MISRA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhubaneswar.

Date : 2-1-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
4/14A, ASAF ALI ROAD,
NEW DELHI-1(110001)

New Delhi, the 4th January 1978

Ref. No. IAC/Acq.I/SR.III/37/May-1(21)/77-78/4906.—Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
J-71, situated at Kalkaji, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed herto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 9-5-1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely.

(1) Shri Ramditta Mal,
s/o Shri Sadhu Ram
r/o 292, Govindpuri, Gali No. 4,
Kalkaji, New Delhi.

(Transferor)

(2) Dr. Virender Kumar Narang,
s/o Shri Ram Saran Narang,
r/o 78, Amritpuri, Lajpat Nagar, New Delhi
through his G.A. Shri Ram Saran Narang.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the aforesaid persons within a period of able property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 347 sq. yds. bearing No. 71 Block No. 'J' situated at Kalkaji, New Delhi and bounded as under :—

East : Road
West : S. Lane
North : Plot No. 70
South : Plot No. 72

J. S. GILL
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Delhi/New Delhi.

Date : 4-1-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
54 RAFI AHMED KIDWAI ROAD
CALCUTTA-16

Calcutta-16, the 3rd January 1978

Ref. No. 400/Acq.R-III/77 78/Cal/.Whereas, I KISHORE SEN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No.
Flat No. 'B' on 5th Floor
situated at No. 2, Mandeville Gardens, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 25-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Saloni Ownership Flats Scheme Pvt. Ltd., 6, Harrington Street, Calcutta-16

(Transferor)

(2) Sri Pranob Kumar Dey,
132, Nagendra Nath Road,
Calcutta-28.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No 'B' on the 5th Floor of the building known as 'Jay Jayanti situated at 2, Mandeville Gardens, Calcutta registered under deed No. I-1801 of 1977 before the Registrar of Assurances, Calcutta

KISHORE SEN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
54 Rafi Ahmed Kidwai Road (3rd floor),
Calcutta-16

Date 3-1-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
KANPUR

Kanpur, the 20th December 1977

Ref. No. 913-A/Acq/Kanpur/77-78/6116.—Whereas, I, R. P. BHARGAVA,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kanpur on 18-4-1977,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property in as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Deepak Garg,
113/208, Swaroop Nagar,
Kanpur.
(Transferor)

(2) Smt. Vimla Malhotra and
Kali Charan Mehrotra,
7/77, Tilak Nagar,
Kanpur.
(Transferee)

S/Shri
(3) Rajendra Kumar,
P. G. Thomas,
P. C. Konan,
Gayatri Tripathi,
Kamal Bhan,
T. N. Sangal and
S. K. Singh
(All Tenents)
[Persons in occupation of the property]

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of house property bearing No. 117/42, Sarvodaya Nagar, Kanpur, transferred for an apparent consideration of Rs. 1,00,000/-.

R. P. BHARGAVA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Kanpur.

Date : 20-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE 1, BOMBAY

Bombay, the 5th January 1977

Ref .No. ARI/2015-1/May 77.—Whereas, I, F. J. FERNANDEZ,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No.
C.S. 5/669 of Malabar and Cumballa Hill Division,
situated at Altamount Road
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bombay on 6-5-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Shankerbhai Ranchhodbhai Patel. (Transferor)

S/Shri

(2) Bahalchand A. Jain,
Sumitradevi B. Jain,
V. A. Jain,
Kantadevi V. Jain and
Ravichand A. Jain. (Transferee)

(3) Tenants. (Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in Registered Deed No. 2339/71/ Bom and registered on 6-5-1977 with the Sub-Registrar, Bombay.

F. J. FERNANDEZ
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Bombay

Date : 5th January, 1978

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE—BOMBAY

Bombay, the 6th January 1978

Ref. No. ARI/2018-4/May 77.—Whereas, I, F. J. FERNANDEZ,
being the competent authority under section
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
C. S. 1/39 of Lower Parel Division situated at Jacob Circle (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bombay on 7-5-1977
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. M/s. Star Construction Corporation.
(Transferor)
2. The Vanguard Apartment Co-operative Housing Society Ltd.
(Transferee)
3. Members of the Society.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

SCHEDULE as mentioned in the registered deed No.1035/72/Bom. and registered on 7-5-1977 with the Sub Registrar, Bombay.

F. J. FERNANDEZ
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Bombay

Date: 6-1-78

Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL

Bhopal, the 2nd January 1978

Ref No IAC/ACQ/BPL/77-78/911 —Whereas, I, R K BALI,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No
Land area 7 662 Hectare, Kh No 31 at Gram Malkhedi Teh Khurai, Distt Sagar situated at
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khurai on 4-5-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Rishabh Kumar Jain,
S/o Kanchadilal Jain,
R/o Sagar.
(Transferor)

(2) Smt Urmila Devi,
W/o Shri Dr Shyam Bihari Tiwari,
R/o Bina-Itawa, Bina.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land area 7 662 Hectare, Khasra No. 31 at Gram Malkhedi, Teh. Khurai, Distt. Sagar.

R. K. BALI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal.

Date 2-1-1978
Seal

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
BHOPAL

Bhopal, the 2nd January 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/77-78/912.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land area 7.663 Hect. Kh. No. 31 and 34, situated at Gram Malkhedi, Teh. Khurai, Dist. Sagar
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Khurai on 4-5-1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent conisderation and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Rishabhkumar Jain,
s/o Shri Kanchhedilal Jain,
r/o Sagar.

(Transferor)

(2) 1. Shri Chakrapani,
2. Shri Ram Murti,
3. Shri Krishna Murti,
All s/o Shri Dr. Shyam Bihari Tiwari,
All r/o Bina-Itawa, Bina.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land area 7.663 Hect. Kh. No. 31 and 34, situated at Gram Malkhedi, Teh. Khurai, Distt. Sagar.

R. K. BALI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 2-1-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITIN RANGE,
BHOPAL

Bhopal, the 2nd January 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/77 78/913 —Whereas, I, R K BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25 000/- and bearing
H. No 159 and 169 situated at Subhash Waid, Station Road, Mundwara, Distt Jabalpur
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Mundwara on 9 5 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Mulla Saifuddin,
s/o Shri Tahir Ali.
2 Shri Fida Hussain
3 Shri Fakruddin,
4 Shri Jubbar Hussain,
5 Shri Tazduk Hussain
s/o Haji Yusuf Ali.
All R/o Bhimgani Mandi, Kota

(Transferor)

(2) 1 Shri Jairamdas,
s/o Shri Jadav Das.
2 Shri Ashok Kumar,
s/o Shri Jodhamal,
3 Shri Harishkumar,
4. Shri Anilkumar,
s/o Shri Jodhamal,
All r/o Robert Line, Katni Camp, Katni,
Teh Mundwara

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No 159 and 169 situated at Subhash Ward, Station Road, Mundwara, Distt Jabalpur

R. K BALI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal

Date . 2-1 1978
Seal

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL.

Bhopal, the 2nd January 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/77-78/914.—Whereas, I, R. K. BALI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25 000/- and being No.

One house five rooms on ground floor, 2 rooms on first floor situated at Bhopal

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Bhopal on 16-5-77

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri K. F. Rustamji,
2. Smt. Naju K. Rustamji,
w/o Shri K. F. Rustamji,
3. Smt. K. J. Viveira,
d/o Shri K. F. Rustamji,
4. Master Cyrus Rustamji,
s/o Shri K. F. Rustamji,
All resident of B-2/2 Safdarganj Enclave, New Delhi.

(Transferor)

(2) 1. Kumari Sumangala Vatal,
d/o Mr. K. N. Vatal,
2. Smt. Ashlesha Sheopuri,
w/o Shri Arun Sheopuri,
Residents of F-1/187 Arera Colony, Bhopal.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house five rooms on ground floor, 2 rooms on first floor situated at Bhopal

R. K. BALI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal

Date : 2-1-78

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE

INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL.

BOMBAY

Bhopal, the 2nd January 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/77-78/915.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. One house (double storeyed) Block No. 69, situated near Indore Gate, Ujjain
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjain on 27-5-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gulabchand.
s/o Shri Bapulal Mahajan,
r/o 152 Dashera Maidan,
Madhav Nagar, Ujjain.

(Transferor)

(2) Shri Sabir Hussain,
s/o Shri Haji Abdul Ali Bhai,
Contractor,
r/o Chhatri Chowk, Ujjain.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One house (double storeyed), Block No. 69, situated near Indore Gate, Ujjain.

R. K. BALI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 2-1-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL.

Bhopal, the 2nd January 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/77-78/916.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing 1/2 portion of plot area 1080 sq. ft. and portion of H. No. 396, Khasra No. 4/1 (Western portion) situated at Pipariya and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Pipariya on 24-5-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiton of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Vallabh,
s/o Shri Motilal Sodani,
r/o Pipariya.
(Transferor)

(2) Shri Brijmohan,
s/o Shri Motilal Agarwal,
r/o Sardar Patel Ward, Pipariya.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisiton of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms aand expressions used here as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 portion of plot area 1080 sft.
1/2 portion of house No. 396, Khasra No. 4/1 (Western portion) vacant plot and compound wall situated at Nehru Ward, Pipariya.

R. K. BALI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 2-1-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL.

Bhopal, the 2nd January 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/77-78/917.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as in the said Act'), have reason to believe that the immoveable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
1/2 portion of H. No. 396, Kh. No. 4/1 and 1/2 portion of plot area 1080 sft. situated at Nehru Ward Pipariya..
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Pipariya on 24-5-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Vallabh,
s/o Shri Motilal Sodani,
r/o Pipariya.
(Transferor)

(2) Shri Avanish (Minor),
s/o Shri Brijmohan Agrawal,
r/o Pipariya.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/2 portion of H. No. 396, Kh No. 4/1 (Eastern side).
1/2 portion of Plot area 1080 sft. one office room, compound wall and vacant plot.

R. K. BALI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal.

Date : 2-1-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL.

Bhopal, the 2nd January 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/77-78/918.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Converted land of Ward No. 10, P.H. No. 13/2, Kh. No. 337/3, 337/1 with godown and a well situated at Balaghat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Balaghat on 4-5-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri Hari Prasad,
2. Shri Damodar Das and
3. Shri Ramnarain,
s/o Shri Ghanshyamdas Asati,
r/o Balaghat.
(Transferor)

(2) 1. Shri Shobharam,
s/o Shri Baliram Chandrawar and
2. Shri Dhalakram,
s/o Suransav Sakre,
r/o Wad No. 11, Balaghat.
(Transferee)

Objections, it any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Converted land of Ward No. 10 P.H. No.13/2, Kh. No. 337/3, 337/1 with godown and a well situated at Balaghat.

R. K. BALI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bhopal.

Seal :
Date : 2-1-1978

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
BANGALORE-27

Bangalore-27, the 26th December 1977

C.R. No. 62/9340 77-78/ACQ/B —Whereas, I, I S RAO, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Bangalore,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
All that piece and parcel of the Ground floor portion of the property bearing No. 4, Basappa Cross Road in Shantinagar, Bangalore-27, exclusive of the main gate situated in the Western side leading to the first floor and the garage situate in the south west corner, and
situated at
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Jayanagar, Bangalore. Document No. 98/77-78 on 14-4-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri M. R. Siddalingaraje Urs alias M. R. Mahesh,
S/o Sri M. L. Raje Urs,
'Rachappaji Krupa',
Lakshmipuram, Mysore-4.
(Transferor)

(2) Shri B. C. Byrappa,
S/o Late B. Byrappa,
Cloth Merchant, Chickpet,
Bangalore City.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 98/77-78 dated 14-4-77]
All that piece and parcel of the Ground floor portion of the property bearing No. 4, Basappa Cross Road in Shanti Nagar, Bangalore, exclusive of the main gate situate in the Western side leading to the First floor and the garage situated in the South West Corner, bounded
East : Late B. Byrappa's house
West : the passage in property No 4, leading to garage on the 1st floor, and site No. 5, now belonging to Shri Abdul Rashid
North : 30 ft Road, Basappa Cross Road,
South : Site No , belonging to Shri Gonsolves in Survey No 30/2.

I S RAO
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Bangalore.

Date : 26-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
SONEPAT ROAD, ROHTAK
Rohtak, the 3rd January 1977

Ref. No. CHD/25/77-78/.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR PATHANIA, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak
being the competent authority under Section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the
immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
64, Sector 2-A, situated at Chandigarh
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Chandigarh in May, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to belive that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) i. Smt. Prem Parkash Kaur,
ii. Shri Gulraj Singh Grewal,
7-Gurdev Nagar, Ludhiana.

(Transferor)

(2) Shri Jagjit Singh Gill,
Kothi No. 30, Sector 2-A,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential house (with garrage and servants quarters) bearing No. 64, Sector 2-A, Chandigarh built on a freehold plot measuring 2000 sq. yards.

(Property as mentioned in sale deed registered at serial No. 186 of May, 1977 of the Registering Authority, garh).

RAVINDER KUMAR PATHANIA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Rohtak.

Date : 3-1-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 29th December 1977

Ref. No. CHD/46/77-78/.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR PATHANIA,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Ludhiana,
being the Competent Authority under section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House No. 2245, Sector 21-C, situated at Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the
Registering Officer at
Chandigarh in July, 1977,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act; 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhan Singh,
s/o Shri Inder Singh,
House No. 2245, Sector 21-C, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Smt. Satya Wati
w/o Late Dr. Gursharan Dass,
House No. 2245, Sector 21-C,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double Storey residential house bearing No. 2245, Sector 21-C, Chandigarh built on a free-hold corner plot measuring 565.5 sq. yards.
(Property as mentioned in the sale deed registered at Sl. No. 483 of July, 1977 in the office of the Registering Authority, Chandigarh).

RAVINDER KUMAR PATHANIA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Rohtak.

Date : 29-12-1977

Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 2nd January 1978

Ref. No. RAC. No. 173/77-78.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have season to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 18/442 situated at Main Bazar, Proddatur
(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Proddatur on 26-5-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid
property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforsaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Bandaru Venkatasubbamma, W/o Shri Subrahamanyam
Proddatur Cuddapah-Dist.

(Transferor)

(2) Sri Ambati Subrahmanyam, S/o Obaiah,
Accountant, of D.V.C. Factory,
Proddatur Cuddapah Dist.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House Door No. 18/442 situated at Main Bazar, Proddatur-Cuddapah-Dist, registered vide Document No. 1508/77 in the office of the Sub-Registrar Proddatur.

K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 2-1-1978
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 5th January 1978

Ref. No. RAC No. 174/77-78.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Shop No. 50 on Abid Shopping Centre situated at 5-8-512 Chiragali lane Hyderabad,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Hyderabad on May, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Sri M. Padma Rao, S/o Pandurangachari,
H. No. 22-4-499 at Kotla Alija,
Ehtebar Chowk, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri Kanteti Satyanarayana Raju S/o Bhujanga Raju,
H. No. 8-2-438/1 at Banjara Hills, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Premises bearing Shop No. 50 of extent of 220 Sq. ft. including fixtures and furniture on the ground floor of "Abids" Shopping Centre", at M. No. 5-8-512 to 517/A Chiraga Ali lane, Hyderabad registered vide Document No. 1211/77 in the office of the Registrar of Hyderabad.

K. S. VENKATARAMNA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 5-1-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda the 5th January 1978

Ref. No. AP.72/BTI/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at V. Sappan Wali
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Abohar on May, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely : –

(1) Shri Sunil Kumar S/o Sh. Kishore Chand S/o Shri Khem Chand, Street No. 7, Abohar, Teh. Fazilka.

(Transferor)

(2) Shri Bachan Singh S/o Sh. Sunder Singh S/o Shri Chokha Singh, R/o Sappan Wali, Teh. Fazilka.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above. [Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used here in as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 123 kanal 16 marlas in village Sappan Wali as mentioned in registeration deed No. 354 of May, 1977 registered with the S. R. Abohar.

P. N. MALIK
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 5-1-1978.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 5th January 1978

Ref. No. AP-73/BTI/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule situated at Abohar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Abohar on May, 1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Santa Singh S/o Sh. Mukha Singh, R/o Sukhera Basti, Abohar.

(Transferor)

(2) Shri Rakesh Kumar S/o Sh Gian Chand C/o M/s Gian Chand Lachman Dass, Circular Road, Abohar.

(Transferee)

(3) As per Sr. No 2 above [Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 20150 Sq. ft. situated at Nanak-sar-Fazilka Road, Abohar as mentioned in registration deed No. 236 of May, 1977 registered with the S.R. Abohar.

P. N. MALIK

Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 5-1-1978.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda the 5th January 1978

Ref. No. AP-74/BTI/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Abohar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Abohar on April, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Santa Singh S/o Sh. Mukha Singh, R/o Sukhera Basti, Abohar. (Transferor)

(2) Shri Rakesh Kumar S/o Sh. Gian Chand C/o M/s. Gian Chand Lachman Dass, Circular Road, Abohar. (Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above. [Person in occupation of the property]

(4) Any body interested in the property. [Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot measuring 21692 sq. ft. situated at Nanak-sar-Fazilka Road, Abohar as mentioned in registration deed No. 214 of April, 1977 registered with the S.R. Abohar.

P. N. MALIK
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 5-1-1978.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OR INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 5th January 1978

Ref. No. AP.75/BTI/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 2500/- and bearing

No. As per schedule situated at Kot Kapura
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Faridkot on April, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ajaib Singh S/o Sh. Wazir Singh Kler, Hospital Road, Kot Kapura.
(Trantsferor)

(2) Smt. Darshna Devi W/o Sh. Om Parkash, Gian Market, Kot Kapura.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any body interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/6th share of 250 sq. yards property situated at Kot Kapura as mentioned in registration deed No. 92 of April, 1977 with the S.R. Faridkot.

P. N. MALIK
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 5-1-1978.
Seal:

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 5th January 1978

Ref. No. AP-76/BTI/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Kot Kapura (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Faridkot on April, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Ssection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Sadhu Singh S/o Sh. Wazir Singh Kler, Hospital Road, Kot Kapura (FDK).

(Transferor)

(2) Shri Kamal Jindal S/o Sh. Om Parkash, Gian Market, Kot Kapura.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any body interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned,—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/6th share of 250 sq. yards property situated at Kot Kapura as mentioned in registration deed No. 91 of April, 1977 with the S.R. Faridkot.

P. N. MALIK
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 5-1-1978.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHATINDA

Bhatinda, the 5th January 1978

Ref. No. AP-77/BT/77-78.—Whereas, I, P. N. MALIK, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule situated at Kot Kapura
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transfered under the Registration Act 1908 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Faridkot on April, 1977
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Atma Singh S/o Sh. Wazir Singh, Kaler, Hospital Road, Kot Kapura.
(Transferor)

(2) Shri Om Parkash S/o Sh. Des Raj, Grain Market, Kot Kapura.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any body interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons wihin a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/6th share of 250 sq yards property situated at Kot Kapura as mentioned in registration deed No. 90 of April, 1977 with the S.R. Faridkot.

P. N. MALIK
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhatinda

Date : 5-1-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACUQISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 28th December 1977

Ref. No. AP-1740.—Whereas, I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Plot No. 170-New Jawahar Nagar, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on May, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the Said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the Said Act to the following persons namely :—

(1) M/s Redlay Sports
through Sh. Vipan Mahajan
S/o Sh. Girdhari Lal Gupta &
G.A. Smt. Sudershna Kumari
W/o Shri Kasturi Lal Mahajan and
Smt. Krishna Kumari
W/o Shri Tilak Raj Mahajan
R/o Suraj Kund Road, Meerut and
Sh. Vimal Gupta
S/o Shri Girdhari Lal Gupta and
Shri Girdhari Lal Gupta,
130 Adarsh Nagar, Jullundur,
Prop : & Partner of Redlay Sports,
Basti Nau, Jullundur.

(Transferor)

(2) 1 Shri Avnash Chander Gupta,
S/o Shri Daulat Ram,
EF-506-Krishan Nagar, Jullundur and
2. Smt. Sushma Bhalla
W/o Shri Baldev Bhalla,
52-New Jawahar Nagar, Jullundur.

(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2 above.
[Person in occupation of the property]

(4) Any other person interested in the property.
[Person whom the undersigned knows to be interested in the property]

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in the Registration sale deed No. 1046 of May, 1977 of the Registering authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur.

Date : 28-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDING
M.G. ROAD, ERNAKULAM,
COCHIN

Ernakulam, the 15th December 1977

Ref. L.C. No..—Whereas, I, C. P. A. VASUDEVAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 - and bearing
Sy. No. as per schedule situated at East Chalakudy
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Chalakudy on 23-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri A Shanmugha Sundaram
(for M/s Anamalai Bus Transport (P) Ltd.

(Transferor)

(1) Shri Ittira
(For M/s Kanichai Movie Enterprises)

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

$64\frac{47}{1000}$ cents of land with buildings in Sy. No. 201/2, 4 of East Chalakudy village.

C. P. A. VASUDEVAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 15-12-1977
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDING
M.G. ROAD, ERNAKULAM,
COCHIN

Ernakulam, the 15th December 1977

Ref. L.C. No. 152/77-78.—Whereas, I, C. P. A. VASUDEVAN
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sy. No. as per schedule situated at East Chalakudy
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Chalakudy on 23-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri A. Shanmugham
(For M/s Anamalia Bus Transport Co. (P) Ltd.
(Transferor)

(1) Shri Ittira
(For M/s Kanichai Movie Enterprises)
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

$39\frac{195}{1000}$ cents of land with buildings in Sy. No. 203/2 of East Chalakudy village.

C. P. A. VASUDEVAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 15-12-1977

Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDINGS
M.G. ROAD, ERNAKULAM,
COCHIN-682016

Ernakulam, the 15th December 1977

Ref. L.C. No. 153/77-78.—Whereas, I, C. P. A. VASUDEVAN,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sy. No. as per schedule situated at Tirur Taluk
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Tirur on 27-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Ravindran.

(Transferor)

(2) 1. Sri Kuhi Muhamed Haji
2. Sri Syed Alavi
3. Sri Pareekutty
4. Sri Aboobaker Kutty.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

9¼ cents of land with buildings in R.S. No. 190-6 of Thrikandiyoor Amsom desom in Malapuram District.

C. P. A. VASUDEVAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ernakulam.

Date : 15-12-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDINGS
M.G. ROAD, ERNAKULAM,
COCHIN-682016

Ernakulam, the 15th December 1977

Ref. No. L.C. No. 154/77-78.—Whereas, I, C. P. A. VASUDEVAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sy. No. as per schedule situated at Muttathara Village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Trivandrum on 25-4-1977
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :

(1) Smt. Sathyabhama Amma (Transferor)

(2) Dr. M. A. Abdul Jabbar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

13 cents 918 sq. links of land with a building TC 40/13(2) in Muttathara village in Trivandrum District.

C. P. A. VASUDEVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ernakulam.

Date : 15-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDING
M.G. ROAD, ERNAKULAM,
COCHIN

Ernakulam, the 15th December 1977

Ref. L.C. No. 155/77-78.—Whereas, I, C. P. A. VASUDEVAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Sy. No. as per schedule situated at Vadakkancherry (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Trichur on 15-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Chandran
4. Rajan
3. Krishnan

(Transferors)

(2) Smt. Baby
2. Elsy
3. Mary

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Estate as per schedule attached to document No. 1306/77, dated 15-4-77.

C. P. A. VASUDEVAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 15-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT.

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDING
M.G. ROAD, ERNAKULAM,
COCHIN

Ernakulam, the 15th December 1977

Ref. L.C. No. 156/77-78.—Whereas, I, C. P. A. VASUDEVAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sy. No. as per schedule situated at Vadakkancherry
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Trichur on 22-4-77
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be discussed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. P. Mohanan

(Transferor)

(2) Baby, Elsy and Mary

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Estate as per schedule attached to document No. 1395/77, dated 22-4-77.

C. P. A. VASUDEVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 15-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDINGS,
M.G. ROAD, ERNAKULAM,
COCHIN-682016

Ernakulam, the 16th December 1977

Ref. L.C. No. 157/77-78.—Whereas, I, C. P. A. VASUDEVAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sy. No. as per schedule situated at Durbar Hall Road, Ernakulam,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ernakulam on 18-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Parvathy Ammal,
D/o K. S. Parameswara Iyer,
Kalliyathu Madhom,
36/951, Durbar Hall Road,
Ernakulam.

(Transferor)

(2) Sri P. K. Varkey,
S/o Parakkadam Kunjappoly,
Nehru Nagar, Trichur.

(Transferee)

(3) K. R. Shenoy, Photo Studio, Ernakulam.
K. C. Joseph, Tailor, Ernakulam.
E. T. M. Vaidyasala, Ernakulam.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

14¼ cents of land with buildings in Sy. No. 701/2 and 1142/1 of Ernakulam village vide schedule to document No. 961/77 dt. 18-4-77.

C. P. A. VASUDEVAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 16-12-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDING
M.G. ROAD, ERNAKULAM,
COCHIN

Ernakulam, the 16th December 1977

Ref. L.C. No. 158/77-78.—Whereas, I, C. P. A. VASUDEVAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sy. No. as per schedule situated at Chalakudy
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Chalakudy on 20-4-77
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Annamkutty.

(Transferor)

(2) 1. Sri Anto
2. Smt. Valsa.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

$37\frac{39}{1000}$ cents of land with buildings in Sy. No. 441/8 in East Chalakudy Village.

C. P. A. VASUDEVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 16-12-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDINGS
M.G ROAD, ERNAKULAM,
COCHIN-682016

Ernakulam, the 16th December 1977

Ref. L.C. No 160/77-78.—Whereas, I, C. P. A. VASUDEVAN,
being the competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
Sy No. as per schedule situated at Trichur Municipality (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Trichur on 28-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

13—426GI/77

(1) Smt. Madhavi Amma. (Transferor)

(2) K. P. Surendranath. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

71 cents of land with buildings in Sy. No. 1950 in Trichur Municipality.

C. P. A. VASUDEVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 16-12-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KAKINADA
Kakinada, the 12th December 1977

Ref No Acq F No 528—Whereas, I, N. K NAGARAJAN,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
TS No 118 situated at Nagaram Palem
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Guntur on 15-4-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of ths notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) 1 Shaik Hussain,
2. Shaik Hassan,
3. Dadawali,
4 Salauddin,
} S/o Shaik Mohd. Saheb,
5 Khairunni, W/o Piramwali
6. Jayabunnisa, W/o Mohd. Basha and
7. Fatimabee W/o Shaik Mohammad,
Nagarampalem

(Transferor)

(2) 1. Varipalli Annapurnama, W/o Suryaprakasarao,
2 Smt Modukuri Veeramma, W/o Anjaneyulu,
Anjaneyaswamywari temple street,
Old Guntur, Guntur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION .—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 1544/77 registered before the Sub-registrar, Guntur during the fortnight ended on 15-4-1977

N. K. NAGARAJAN,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date : 15-12-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 12th December 1977

Ref. No. Acq. F. No. 529.—Whereas, I, K. N. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and
TS No. 490 situated Guntur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Guntur on 29-4-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer ; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Yellapragrada Rama Mohanrao,
S/o Sambasivarao,
2. Yellapragrada Narayanarao,
S/o Sambasivarao,
3. Yellapragada Suryaprakasarao,
Minor by guardian mother Y. Sarada,
4. Yellapragada Sarada,
W/o Sambasivarao,
5. Yellapragada Umadevi,
D/o Sambasivarao,
6. Yellapragada Nirmal,
D/o Sambasivarao,
7. Brahmandam Laxmisaraswati,
W/o Subbarao,
GPA Holder Sri Y. Venkateswara Vikekanandam,
Grodipeta, Guntur.
8. Y. Venkateswara Vivekanandam,
S/o Sambasivarao,
Brodipeta, Guntur.
9. Smt. Brahmandam Indira,
W/o Gangadharasarma,
Pandaripuram, Guntur.

(Transferors)

(2) Smt. Udipi Laxmi Devi,
W/o Gopalarao,
Door No. 5-9-16, 2nd Line,
8th Cross Road, Brodipeta,
Guntur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 1834/77 registered before the Sub-registrar, Guntur during the fortn'ght ended on 30-4-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 15-12-1977.

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 12th December 1977

Ref. No. F. No. 530.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. 23-1-60 situated at Guntur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer
at Guntur on 21-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Vakkalagadda Baburao,
2. Smt. V. Lakshim, W/o Baburao,
Rajas Garden, Guntur.

(Transferor)

(2) Kanbala Venkateswarlu, S/o Rangaiah.
Etukur Road, Guntur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 1633/77 registered before the Sub-registrar, Guntur during the fortnight ended on 30-4-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 15-12-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 15th December 1977

Ref. No. Acq. F. No. 531.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 4-17-1 situated at Kakinada
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Kakinada on 22-4-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sathar Jani, S/o Shaik Ibrahim,
Bridge Road, Jagannaikpur, Kakinada.
(Transferor)

(2) Reddi Venkata Bhagyalaxmi,
Reddi Sujata,
Reddi Suryanarayana,
Reddi Audimurti.
} Minor by guardian Reddivenkataratha, Kakinada.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 1484/77 registered before the Sub-registrar, Kakinada during the fortnight ended on 30-4-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 15-12-1977.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 15th December 1977

Ref. No. Acq. F. No. 532.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the competent authority under section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
QS No. 226/2 situated at Peruru
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Amalapuram on 7-4-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the tansferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Amma Krishnamurty, adopted S/o Suryanarayana, Peruru, Amalapuram Taluk, E.G. Dt.

(Transferor)

(2) Mantha Uma Maheswararao, S/o Satyanarayana, Peruru, Amalapuram Tq. E.G. Dt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 1273/77 registered before the Sub-registrar, Amalapuram during the fortnight ended on 15-4-1977.

N. K. NAGARAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 15-12-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 15th December 1977

Ref. No. Acq. F. No. 533(3).—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovbale property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
RS No. 229/1 & 2, 226/3 situated at Peruru
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office o the Registering Officer at
Amalapuram on 7-4-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act,' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ammu Krishnamurty, adopted S/o Suryanarayana Peruru, Amalapuram Taluk, E.G. Dt.
(Transferor)

(2) Mantha Sureshkumar,
minor by guardian father Umamaheswararao,
Peruru, Amalapuram Tq., E.G. Dt.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 272/77 registered before the Sub-registrar, Amalapuram during the fortnight ended on 15-4-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 15-12-1977.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(D) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, KAKINADA

Kakinada, the 12th December 1977

Ref. No. Acq. F. No. 534.—Whereas, I, N. K. NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000 and bearing
RS No. 197/2 & 3 situated at Penugonda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Penugonda on 13-4-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I herey initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Satti Mennakshamma W/o Late Chandra Reddy, Pekeru, Tanuku Tq. W.G. Dt.

(Transferor)

(2) Nallamilli Krishnaveni, W/o Prahalada Reddi, Marteru, Tanuku Tq., W.G. Dt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No. 500/77 registered before the Sub-registrar, Penugonda durin the fortnight ended on 15-4-1977.

N. K. NAGARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada.

Date : 15-12-1977.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE KAKINADA

Kakinada the 12th December 1977

Ref No Acq F No 535—Whereas I, N K NAGARAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25000/- and bearing No
RS No 79 & 87/2 situated at Prathalla Metaki
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred as per the registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Undi on 1 4 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of .—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

(1) Kanumuri Appalaraju, S/o Satyanarayanaraju, Sriramapuram Bhimavaram, W G Dt
(Transferor)

(2) Gottumukkala Viswanadharaju, S/o Venkataraju, Prattallameraka Bhimavaram Tq W G Dt
(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expired later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

The schedule property as per registered document No 407/77 registered before the Sub registrar, Undi during the fortnight ended on 15-4-1977

N K NAGARAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kakinada

Date 15-12-1977
Seal

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISTION RANGE-I,

4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-1(110001)

New Delhi, the 7th January 1978

Ref. No. ICA/Acq.I/SR.III/12/April-I(15)/77-78.—Whereas I, J. S. GILL,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
C-153 situated at Greater Kailash-I, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 6-4-1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(Transferor)
(1) Shri Parkash Lal Vohra, s/o. Shri Nihal Chand Vohra, r/o. 2313, Netaji Nagar, New Delhi.

(Transferee)

(2) Smt. Vuruna J. Manghani, w/o. Shri Jai Kumar & Shri Jai Kumar; s/o. Shri Hot Chand, r/o. H-35, Kailash Colony, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 312.5 sq.yds. bearing No. 153, Block No. 'C' situated at resident colony known as Greater Kailash-I, New Delhi and bounded as under :—

East : Plot No. C-151
West : Road
North : Service Lane
South : Road

I. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi.

Date : 7-1-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISTION RANGE-I,

4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi-1(110001)

New Delhi, the 7th January 1978

Ref. No. IAC/Acq.I/SR.III/27/April-II(24/77-78.—
Whereas I, J. S. GILL,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tav Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
D-1/8 situated at Lajpat Nagar, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 30-4-1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer is agreed to between the parties has not been truly in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction o rfevasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Hakam Singh, s/o. Shri Jamiat Singh Aircraft Overhaul Division, Indian Airlines, Palam, New Delhi.

(Transferee)

(2) Smt. Kanwal Jit Kaur, w/o. Dr. Harbans Singh, r/o. D-I/8, Lajpat Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A lease-bold property No. D-I/8 measuring 100 sq. yds situated at Lajpat Nagar, New Delhi and bounded as under :

East : Quarter No. D-I/7
West : Quarter No. D-I/18
North : Lane
South : Road.

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range-I,
Delhi/New Delhi.

Date : 15-12-1977
Seal :

कर्मचारी चयन आयोग

दिनांक 2 जुलाई, 1978 को होने वाली लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1978

1. जिस दिन अधिसूचित हुई : 14-1-1978
2. आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि :— 13-2-78
   (विदेशों से तथा अंडेमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप से उम्मीदवारों के लिए 27-2-78)
3. रिक्तियों की संख्या लगभग 3500
   (1500 नहीं, जो कि विस्तृत विज्ञापन में दी गई है)
4. आयु सीमाएं:— 18-25 वर्ष। ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा कुछ अन्य श्रेणियों के लिए छूट होगी।
5. शैक्षणिक अर्हताएं :— मट्रिक अथवा समकक्ष
6. शुल्क :— 12/- रु० (अनुसूचित जाति/आदिम जाति के लिए 3/- रु०) जो पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा दिया जा सकता है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई शुल्क नहीं है।
7. जो उम्मीदवार नीचे के कालम 1 में दिए गए केन्द्रों पर परीक्षा देना चाहते हैं, उन्हें उन केन्द्रों के सामने कालम 2 में दिए गए पते पर अपने आवेदन प्रस्तुत करने चाहिए :—

केन्द्र	वह पता जहां आवेदन भेजने चाहिए
दिल्ली, जयपुर, पटियाला, शिमला, श्रीनगर और विदेश में कोई भारतीय मिशन	परीक्षा नियंत्रक, (मुख्यालय) कर्मचारी चयन आयोग, पश्चिम खंड 1, पोस्ट बैग 2, रामकृष्णापुरम, नई दिल्ली।
इलाहाबाद, भोपाल और पटना	परीक्षा-नियंत्रक, (के० क्षे०) कर्मचारी चयन आयोग, 71/3-बी० स्टानले रोड, कमला नगर, इलाहाबाद।
अगरतला, कलकत्ता, कटक और दिनपुर (गोहाटी)	परीक्षा-नियंत्रक, (पु० क्षे०) कर्मचारी चयन आयोग, प्रीमीसिस नं० 15/1 पांचवी मंज़िल चौरंगी स्कायार, कलकत्ता।
अहमदाबाद, बम्बई और नागपुर	परीक्षा-नियंत्रक (प० क्षे०) कर्मचारी चयन आयोग, कारमीलोस बिल्डिंग (चौथी मंजिल), जी० टी० हस्पताल के सामने (मेट्रो सिनेमा के निकट) बम्बई।
बंगलौर, हैदराबाद, मद्रास और त्रिवेन्द्रम	परीक्षा-नियंत्रक, (द० क्षे०) कर्मचारी चयन आयोग, 150-ए० एल० एल० ए० बिल्डिंग (दूसरी मंजिल) अन्ना सलाई, मद्रास।

[1] आवेदन सादे कागज़ पर आमन्त्रित किए गए हैं। ब्यौरे के लिए, उस विज्ञापन को देखें जो भारत के राजपत्र तथा विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 14-1-1978 को छपा है।

(हीरा लाल अग्रवाल)

STAFF SELECTION COMMISSION

CLERKS' GRADE EXAMINATION, 1978 TO BE HELD ON 2ND JULY, 1978

1. Notified on : 14-1-1978.
2. Closing date for receipt of applications . . . . . 13-2-78 (27-2-78 for candidates from abroad and Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)
3. No. of vacancies : About 3500 and not 1500 as indicated in detailed advertisement.
4. Age Limit : 18-25 years. Upper age limit is relaxable for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and certain other categories.
5. Educational Qualification : Matriculation or equivalent.
6. Fee Rs. 12/- (Rs. 3/- for Scheduled Caste/Schedued Tribe) Payable by Postal Order or Bank Draft. Ex-Servicemen are exempt from fee.
7. Candidates desirous of appearing at Centres given in Column 1 below must submit their applications to the address given against Centres in Column 2.

Centre	Address to which applications should be sent.
Delhi, Jaipur, Patiala, Simla, Srinagar and any Mission abroad.	Controller of Examinations (H.Q.), Staff Selection Commission, West Block No. 1, Post Bag 2, R. K. Puram, New Delhi-110022.
Allahabad, Bhopal and Patna.	Controller of Examinations (C.R.), Staff Selection Commission, 71/3 B, Stanley Road, Kamla Nagar, Allahabad.
Agartala, Calcutta, Cuttack and Dispur (Gauhati)	Controller of Examinations (E.R.), Staff Selection Commission, Premises No. 15/1, (5th Floor), Chowringhee Square, Calcutta.
Ahmedabad, Bombay and Nagpur.	Controller of Examinations (W.R.), Staff Selection Commission, Carmilos Building (4th Floor), Opposite G.T. Hospital (near Metro Cinema), Bombay.
Bangalore, Hyderabad, Madras & Trivandrum.	Controller of Examinations (S.R.), Staff Selection Commission, 150-A, LLA Building (2nd Floor), Anna Salai, Madras.

APPLICATIONS ARE INVITED ON PLAIN PAPER. FOR DETAILS ADVERTISEMENT THAT APPEARS ON 14-1-78 IN GAZETTE OF INDIA AND VARIOUS NEWSPAPERS MAY BE REFERRED TO.

(H. L. AGGARWAL)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978